दिसम्बर 2016

मध्यप्रदेश पंचायिका

पंचायतों की मासिक पत्रिका

प्रबंध सम्पादक
संतोष मिश्र

समन्वय
मंगला प्रसाद मिश्रा

परामर्श
शिवानी वर्मा
डॉ. विनोद यादव

सम्पादक
रंजना चितले

सहयोग
अनिल गुप्ता

वेबसाइट
आत्माराम शर्मा

कम्पोजिंग
अल्पना राठौर

आकल्पन
आलोक गुप्ता
विनय शंकर राय

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क
मध्यप्रदेश पंचायिका
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल
भोपाल-462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409
Email : panchayika@gmail.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

इस अंक में...

प्रशिक्षण : मध्यप्रदेश में गरीबों को मिलेगा पांच रुपये में भरपेट भोजन 4
विशेष लेख : सर्वांगीण विकास वाला प्रदेश 6
लेख : लोक कल्याण और लोक मंगल के ग्यारह वर्ष... 9
लेख-आर्थिक : मध्यप्रदेश में चौमुखी विकास के ग्यारह साल 12
लेख-ग्रामीण विकास : जल-जंगल और जमीन विकास के ग्यारह साल 14
लेख-समग्र विकास : ग्यारह वर्ष की विकास यात्रा 17
लेख-लोक कल्याण : लोकतंत्र की कसौटी पर खरे शिवराज के ग्यारह साल 20
लेख - योजनाओं का सफल अमल - भारत सरकार ने सराहा 22
पंचायतराज : समृद्ध पंचायतों से विकसित होते गाँव 25
मनरेगा : मनरेगा में नई पहल नई करवट 29
संपर्क : अब सड़कें खेतों की मेढ़ों तक 34
आवास : अब कोई नहीं रहेगा आवासहीन 36
आजीविका : गरीब को लखपति बनाने का प्रयास 41
स्वच्छ भारत मिशन : स्वच्छता है तो स्वास्थ्य है - मुस्कुराहट है... 46
मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम : स्कूल में कोई बच्चा भूखा न रहे 48

आयुक्त की कलम से...

|Énäù]É

प्रिय पाठको,

किसी भी परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति दो ही बातों पर निर्भर करती है। एक तो सैद्धान्तिक संकल्प और दूसरी समस्त आयोजनाओं और संकल्पों में तालमेल, इसी सैद्धान्तिक मनोभाव को व्यवहारिक भाषा में सुशासन कहते हैं। जिस तरीके से समाज के केन्द्र में व्यक्ति होता है उसी प्रकार देश और प्रदेश के केन्द्र में जो न्यूनतम इकाई है वह गांव है। यदि गांव समृद्ध होंगे, संपन्न होंगे तो देश भी सम्पन्न और समृद्ध होगा। मध्यप्रदेश सरकार, इसके मुखिया मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और ग्रामीण विकास का नेतृत्व करने वाले पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव इस बात को खूब समझते हैं इसीलिए इन ग्यारह वर्षों के विकास को एक भव्य स्वरूप दिया गया।

ग्यारह साल पहले का परिदृश्य हमारे सामने है। ग्रामीण विकास की योजनाओं में तालमेल का अभाव जहाँ प्रशासनिक योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधक था वहीं हमारे गांव बिजली, सड़क और पानी जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे थे। यदि सड़कें नहीं होंगी तो ग्रामीण उत्पाद नगरों में समय पर आएगा कैसे? इस पर बिजली का अभाव, पानी का अभाव, इसने प्रदेश के गाँवों के पलायन को तेज किया जिससे प्रदेश की नींव अर्थात गांव खोखले होते चले गये। ग्रामीण प्रतिभाएं और कौशल दोनों नगरों में नौकरी की तलाश करने लगे। इस सरकार ने यहीं से अपना काम आरंभ किया।

मध्यप्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया, बिजली की पर्याप्त व्यवस्था की और सिंचाई और पीने के पानी दोनों का अभाव दूर किया। इसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं गांव में ही उपलब्ध कराने की अनेक योजनाएं सामने आईं। इसके साथ-साथ सरकार ने खेती को लाभ का धंधा बनाने का नारा दिया। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए स्टापडेम, बलराम तालाब और मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना लागू की गई इससे जहाँ कृषि उत्पादन सुगम हुआ वहीं मनरेगा कन्वर्जन के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने के साथ स्थाई परिसंपत्तियां भी निर्मित हुईं।

सरकार के काम खेतों तक ही सीमित ही नहीं रहे। स्थानीय नौजवानों को कौशल विकास के लिए विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित किए गए। आजीविका योजनाओं से महिला स्व-सहायता समूह ने आर्थिक सशक्तिकरण का इतिहास रचा। पंचायतों के सशक्तिकरण, आजीविका और विकास के विविध पक्षों ने उद्देश्यों के व्यापक परिणामों से विकास का अद्भुत इतिहास रचा। इन ग्यारह वर्षों में प्रदेश के गांव समृद्ध हुए और मध्यप्रदेश तेजी से विकास करने वाला प्रदेश बन गया।

यह अंक मध्यप्रदेश में सुशासन के ग्यारह वर्षों पर केन्द्रित है। अपनी, अपने प्रदेश की प्रगति का परिदृश्य देख आप निश्चित ही आनंदित होंगे। हमारा प्रयास है कि म.प्र. पंचायिका और बेहतर बने और आपकी अपेक्षाओं पर खरी उतरें। इसके लिए पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीणजन उपयोगी सुझाव, समस्याएँ और अपेक्षाओं से हमें अवगत कराएं, विशेषकर कैशलेस व्यवस्था को लेकर आपके सुझाव अथवा नवाचार अवश्य लिखें। हम इसका स्वागत करेंगे और निश्चित ही समाधान का प्रयास किया जायेगा ताकि मध्यप्रदेश पंचायिका आपके लिए और उपयोगी साबित हो सके।

इस अंक में बस इतना ही, हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।

(संतोष मिश्र)
आयुक्त, पंचायत राज

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के

11 वर्ष जनकल्याण के

मध्यप्रदेश में गरीबों को मिलेगा
पांच रुपये में भरपेट भोजन

जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम

मध्यप्रदेश में जन-कल्याण के लिये बनाई गई योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित करना और उन्हें अन्य योजनाओं का लाभ देने के लिये 4 दिसम्बर को जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षित करने की यह अनूठी पहल थी। इस अवसर पर विशाल जनसमुदाय के सामने फिल्मों के माध्यम से जन-कल्याणकारी योजनाओं का प्रस्तुतीकरण हुआ और इन योजनाओं से लाभ लेने के तरीके बताये गये।

मध्यप्रदेश में प्रत्येक गरीब परिवार को आवासीय पट्टा उपलब्ध करवाने के लिये शीघ्र कानून बनाया जायेगा। प्रदेश के चिन्हित शहरों में दीनदयाल रसोई शुरू की जायेगी जिसमें गरीबों को पांच रुपये में भरपेट भोजन दिया जायेगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना में अब कन्याओं को स्मार्ट फोन दिये जायेंगे। कैशलेस लेनदेन के लिये व्यापारियों द्वारा पी.ओ.एस. मशीन खरीदने पर कोई कर नहीं लगेगा। यह बात मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के लिये जनता ही भगवान है। केन्द्र सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिये कई योजनाएँ शुरू की हैं। इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को देने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो सबसे पीछे हैं वह सरकार की प्राथमिकता में सबसे पहले हैं। राज्य सरकार एकात्म मानववाद की पक्षधर है। संसाधनों पर सभी का बराबर हक है। विकास का लाभ गरीब तक पहुँचना चाहिये। आजादी के बाद अमीरी और गरीबी के बीच की खाई लगातार बढ़ती रही है। इसके पीछे भ्रष्टाचार और

काला धन मुख्य कारण है।

कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा

जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि संपूर्ण मध्यप्रदेश कैशलेस लेनदेन की ओर बढ़ेगा। काले धन की व्यवस्था को समाप्त करने लिये कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

गरीबों को चिकित्सा के लिये 2 लाख तक की सहायता

गरीबों को चिकित्सा के लिये 2 लाख रुपये तक की राशि उपलब्ध करवायी जायेगी। निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की रहने की व्यवस्था संबंधित निर्माण एजेन्सी को करना होगी। प्रदेश के 313 विकासखण्ड में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की जायेगी। ऐसे हितग्राहियों को, जो ई-रिक्शा, ई-लोडर स्व-रोजगार के लिये खरीदना चाहते हैं, उन्हें 2 लाख रुपये तक की कार्य-योजना स्वीकृत की जायेगी।

2022 तक सभी को आवासयुक्त बनाने का लक्ष्य

मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत वर्ष 2022 तक सभी आवासहीन लोगों को अपना घर मुहैया करवाने का लक्ष्य तय किया गया है।

विश्व में सर्वश्रेष्ठ है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

किसानों के लिये मुख्य चुनौती बाढ़, सूखा, ओला, पाला आदि के रूप में प्राकृतिक आपदाएं हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों की सारी समस्या का समाधान है। कृषि के क्षेत्र में विश्व की सर्वश्रेष्ठ योजना है।

- **मुख्यमंत्री विवाह योजना में कन्याओं को मिलेंगे स्मार्ट फोन।**
- **व्यापारियों द्वारा पी.ओ.एस. मशीन खरीदने पर नहीं लगेगा कोई कर।**
- **किसानों को फसल बीमा योजना में 4 हजार 400 करोड़ रुपये किये जायेंगे वितरित।**
- **दीनदयाल रसोई में गरीबों को मिलेगा पांच रुपये में भरपेट भोजन।**
- **हर साल साढ़े सात लाख युवाओं को स्वरोजगार के लिये दिया जायेगा प्रशिक्षण।**
- **कार्य के दौरान किसान और मजदूर की मृत्यु होने पर दी जायेगी 4 लाख रुपये की सहायता राशि।**
- **प्रदेश की 63 कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि उपज मंडी योजना से जोड़ा जायेगा।**

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में पिछले 11 साल में खेती लाभ का धंधा बनी, कृषि उत्पादन 2 करोड़ 14 लाख से बढ़कर 4 करोड़ 23 लाख मीट्रिक टन हुआ, प्रदेश ने लगातार चार वर्ष कृषि कर्मण अवार्ड हासिल किया, चार साल से विश्व में सबसे ज्यादा औसत 20 प्रतिशत की कृषि विकास दर हासिल की, जैविक खेती में देश में अग्रणी बना आदि अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल कीं, जिनसे कृषि क्षेत्र में विकास की एक नई इबारत लिखी जा रही है।

प्रशिक्षण फिल्म में बलराम ताल, ड्रिप-इरीगेशन, बड़ी सिंचाई परियोजनाएँ, नलकूप, सूक्ष्म, मध्यम सिंचाई परियोजनाओं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड आदि कृषि विकास की ऐतिहासिक यात्रा कैसे सहायक बने यह बताया गया।

मिशन मोड के रूप में संचालित किया जायेगा लालिमा अभियान

मध्यप्रदेश में बालिकाओं और महिलाओं में रक्ताल्पता (एनीमिया) को दूर करने के लिये चलाये जा रहे लालिमा अभियान को मिशन मोड पर संचालित किया जायेगा।

लाड़ली लक्ष्मी योजना

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में लाड़ली लक्ष्मी योजना की कक्षा 6 की 5 बालिकाओं को दो-दो हजार के प्रमाण-पत्र दिये। अभी तक प्रदेश में लगभग 24 लाख कन्याओं को इसका लाभ मिल चुका है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना

मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना में अभी तक 3 लाख 90 हजार कन्याओं का विवाह हो चुका है। योजना में 25 हजार रुपये दिये जाते हैं। इसमें से 17 हजार रुपये का चेक विवाहित जोड़े को दिया जाता है।

gdm a JrU {dH$m

आज से एक दशक पूर्व मध्यप्रदेश की गणना भारत के अल्पविकसित, अर्ध विकसित और कमजोर राज्यों में हुआ करती थी (प्रदेश की अधोसंरचना मानव संसाधन, खनिज सम्पदा का प्रबंधन और विकास की परिकल्पनाएं धुंधली थीं)। नीतियों और कार्यों के सम्पादन की दृष्टि से जन-सामान्य की समस्याओं का समाधान तथा उसके विकास के क्षेत्र सीमित थे। प्रदेश अपनी क्षमताओं को अधिकाधिक व्यवहार में अवतरित नहीं कर पा रहा था। योजनाएं भी सीमित थीं और लक्ष्य भी। सरकार की कार्ययोजनाओं में जन सामान्य की भागीदारी कम थी और सीमित योजनाओं के माध्यम से व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र और अवसरों को भी सीमित रूप से देख पाता था। परन्तु अब ऐसा नहीं है। व्यक्ति और राज्य के समग्र विकास और उसकी क्षमताओं के समुचित उन्नयन के लिए और गुणात्मक रूपान्तरण के लिए राज्य सरकार ने जो योजनाएं आरम्भ की हैं और उनके जो परिणाम आ रहे हैं वह न सिर्फ प्रदेश एवं देश को गौरवान्वित करने वाले हैं अपितु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश को विशिष्ट पहचान दिलाने में सहायक सिद्ध हुए हैं।

स्वरूप एवं कार्यक्षेत्र

प्रदेश के सर्वांगीण उन्नयन और विकास का श्रेय शिवराज सरकार की उन योजनाओं और नीतियों को जाता है जिनसे आम आदमी सीधे सम्पर्क में आता है। व्यक्तिगत, सामाजिक और राज्य स्तर पर सरकार की विविध योजनाओं का विस्तार प्रदेश को भव्यात्मकता प्रदान करता है। राज्य के व्यक्तित्व के विविध आयामों को शिवराज सरकार ने योजनाओं के माध्यम से जीवन्तता प्रदान की है। सामान्य अर्थों में राज्य के स्वरूप की व्यापकता में जिन क्षेत्रों का समावेश हुआ है, उनमें कृषि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सहकारिता, वन विभाग उद्यानिकी एवं वानिकी, ग्रामोद्योग, उद्योग, ऊर्जा, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, स्कूल शिक्षा उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुष, महिला सशक्तिकरण, एकीकृत बाल विकास, सामाजिक न्याय विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, लोक निर्माण आदिमजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक पशुपालन, मत्स्यपालन, श्रम, खाद एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का क्षेत्र, विधि और विधायी कार्य, परिवहन क्षेत्र, सामान्य प्रशासन और लोक सेवा प्रबन्धन का क्षेत्र, सामान्य विभाग, राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण का क्षेत्र एवं खनिज क्षेत्रों में संचालित योजनाओं की वस्तु स्थिति और समीक्षा प्रदेश के व्यापक स्वरूप और प्रदेश के मध्यप्रदेश होने का अर्थ स्पष्ट करता है।

ऊर्जा के क्षेत्र में विगत 11 वर्षों में विद्युत उपलब्ध क्षमता में 3 गुना से अधिक वृद्धि के साथ-साथ गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे विद्युत प्रदान की जा रही है। पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के माध्यम से 53,360 गांव विद्युतीकृत किये गये हैं। तथा विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या वर्ष 2004 में 64 लाख 40 हजार से बढ़कर वर्ष 2016 में 1 करोड़ 22 लाख 75 हजार हुई है।

प्रदेश में कुटीर एवं ग्रामोद्योग के स्वरूप में विस्तार हुआ है। प्रदेश में 21368 बुनकरों का स्वास्थ्य बीमा कराया गया है तथा 5 प्रमुख हाथकरघा, क्लस्टर, महेश्वर, वारसिवनी

सारंगपुर ग्वालियर एवं सौंसर में रंगाई घर की स्थापना की गई है।

प्रदेश द्वारा प्रमुख हाथकरघा क्लस्टर चंदेरी के विकास हेतु 4266.45 लाख रुपये की परियोजना स्वीकृत की है तथा इसी क्रम में महेश्वर, चंदेरी की साड़ी एवं वस्त्रों के संरक्षण हेतु जो भारत सरकार से जी.आई. पंजीयन कराया गया है। प्रदेश में उद्यानिकी एवं कृषि वानिकी के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन हुआ है। पौधा उत्पादन के क्षेत्र में 2015-16 में प्रदेश में पौध उत्पादन के लिए निजी रोपड़ियों की स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है। 20 नर्सरियों को पी.पी.पी. मोड में संचालित किया जाएगा। आंकड़ों की दृष्टि से विगत 11 वर्षों में 6 टिश्यू कल्चर लैब स्थापित हुए हैं जबकि 2004-05 तक एक भी टिश्यूकल्चर लैब नहीं था।

प्रदेश सरकार द्वारा उद्यानिकी फसलों हेतु यंत्रीकरण एवं उन्नयन कार्यक्रम भी संचालित हैं। इसके अन्तर्गत वर्ष 2005-06 से अब तक 3200 विभिन्न प्रकार के यंत्र (ट्रेक्टर, रोटावेटर, प्लांटर) किसानों को उपलब्ध कराए गए हैं तथा आगामी 5 वर्षों में 50,000 यंत्रों का लाभ किसानों को दिया जाएगा। वर्ष 2004-05 में घरेलू बागवानी योजना से 21.60 लाख साग भाजी मिनी किट्स का वितरण किया गया था जब कि विगत एक दशक में 51.24 लाख साग भाजी मिनि किट्स का वितरण किया गया। 32.94 लाख कृषक मिनी किट्स/प्रदर्शन योजनान्तर्गत लाभान्वित हुए हैं। उद्यानिकी फसलोत्तर प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत तो वर्ष 2004-05 में कोल्ड स्टोरेज भण्डारण क्षमता 6.82 लाख मीट्रिक टन था, जिसे बढ़ाकर 11 वर्षों में 2.93 लाख मीट्रिक टन की गई है। आगामी 2 वर्षों में कोल्ड स्टोरेज की क्षमता में अतिरिक्त 5 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि का लक्ष्य है। प्रदेश का कायाकल्प ही हो गया है। विगत 10 वर्षों में 987 पैक हाउस का निर्माण हुआ है तथा आगामी 5 वर्षों में 2000 अतिरिक्त पैक हाउस होना तय है। वर्ष 2005-06 में प्याज भंडार गृह की योजना प्रारंभ हुई थी जो विगत 10 वर्षों में 1.01 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि कर चुका है। तथा

- **व्यक्तिगत, सामाजिक और राज्य स्तर पर शासन की विभिन्न योजनाओं का विस्तार हुआ।**
- **सड़क, बिजली, पानी, पढ़ाई-लिखाई और रोजगार की समुचित व्यवस्था।**
- **ऊर्जा के क्षेत्र में विगत 11 वर्षों में विद्युत उपलब्ध क्षमता में 3 गुना से अधिक वृद्धि।**
- **प्रदेश में कुटीर एवं ग्रामोद्योग के स्वरूप में विस्तार हुआ है।**
- **प्रदेश में उद्यानिकी एवं कृषि वानिकी के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन हुआ है।**
- **वन सम्पदा और वन प्राणियों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।**
- **पशुपालन की दिशा में शासन द्वारा अत्यन्त सराहनीय कार्य योजनाएं लागू की गई हैं।**

प्रदेश सरकार का लक्ष्य आगामी 2 वर्षों में अतिरिक्त 5 लाख मीट्रिक टन बढ़ाने का है। उद्यानिकी फसलों की सेल्फ लाइफ बढ़ाने हेतु आगामी 2 वर्षों में 6-8 लाख मीट्रिक क्षमता के 500 कोल्ड रूप निर्मित किए जायेंगे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत विगत 2 वर्षों में हितग्राहियों को 3.26 लाख प्लास्टिक क्रेट्स का वितरण किया जा चुका है तथा 2016-17 में 2 लाख प्लास्टिक क्रेट्स का वितरण किया जाएगा। इसी क्रम में विगत 3 वर्षों में 225.51 करोड़ के निवेश से 55 खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हुई।

पशुपालन की दिशा में सरकार द्वारा अत्यन्त सराहनीय कार्य योजनाएं लागू की गई हैं। इसके अन्तर्गत राज्य स्तरीय पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान की भोपाल में स्थापना की। राज्य पशु प्रजनन केन्द्र की स्थापना बुल मदर फार्म भोपाल, कीरतपुर में मुर्रा नस्ल की भैसों के प्रजनन केन्द्र की स्थापना, उच्च गुणवत्ता चारा हेतु पचामा (सीहोर) में बायापास प्रोटीन एवं मिनरल मिक्चर संयंत्र की स्थापना की गई। पशुपालन विभाग के दस्तावेजों के विश्लेषण से वर्ष 2004-05 से 2016 तक विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि और विकास के आंकड़े प्रदेश में व्यापक स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। दुग्ध उत्पादन में 5.50 मि.टन से 12.14 टन तक की 12.72 प्रतिशत वृद्धि हुई है। पशु चिकित्सालय की दृष्टि से 565 से 1063 चिकित्सालयों की वृद्धि हुई। पशु उपचार की दिशा में 38.53 लाख से बढ़कर 117.20 लाख अर्थात 204.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पशु टीकाकरण 70.79 लाख से 249.14 लाख अर्थात् 251 प्रतिशत की वृद्धि तक पहुंचा। कृत्रिम गर्भाधान 4.73 लाख से बढ़कर 27.25 लाख हुआ है।

वन विभाग द्वारा वन संरक्षण और वन सम्पदा के विकास की दिशा में जो कार्य योजनाएं संचालित की गई हैं। इन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि प्रदेश सरकार इस दिशा में कितनी जागरूक है। वन सम्पदा और वन प्राणियों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वन राजस्व पिछले एक दशक में 496.40 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 1081 करोड़ रुपये हुआ है। वर्ष 2006 में पन्ना टाइगर रिज़र्व को टूरिस्ट फ्रेण्डली वाईल्ड लाइफ डेस्टीनेशन अवार्ड प्राप्त हुआ और वर्ष 2007 में पेंच टाइगर रिज़र्व को टूरिस्ट फ्रेण्डली लाइफ डेस्टीनेशन अवार्ड मिला है। वर्ष 2010 में वन वित्तीय प्रबंधन प्रणाली अवार्ड फॉर एक्सीलेंस का CSI Nihilent E-Governance Award तथा वर्ष 2011 में वन वित्तीय प्रणाली ई-गवर्नेंस कैटेगरी का मंथन दक्षिण एशिया अलंकरण के साथ साथ वर्ष 2012 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का रहवास प्रबंधन सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व को ग्राम विस्थापन पुरस्कार पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को सक्रिय प्रबंधन पुरस्कार एवं वर्ष 2013 में Vegetation Index Change Detection System के लिए India Geospatial Excellence Award प्राप्त होना प्रदेश सरकार की नीति की रचनात्मकता को दर्शाता है वर्ष 2014 में हरियाली महोत्सव के अंतर्गत 1 करोड़ 46 लाख पौधों के रोपण हेतु गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में स्थान प्राप्त हुआ है तथा वर्ष 2015 में राज्य वन विकास निगम के सामाजिक दायित्वों के लिए ग्रीन टेक फाउण्डेशन एवं वर्ष 2016 में अन्तर्राष्ट्रीय वन्यप्राणी कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए क्लार्क आर बाविन वाईल्ड लाइफ लॉ इंफोर्समेंट अवार्ड मिला। प्रदेश सरकार ने परिवहन के स्वरूप का ही कायाकल्प कर दिया है इस दिशा में सभी परिवहन कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण हुआ है। महिलाओं के नवीन लाइसेंस निःशुल्क बनाने की व्यवस्था की गई तथा लोक परिवहन अधोसंरचना के अन्तर्गत बस स्टैण्डों का आधुनिकीकरण हुआ। 16 नवीन औद्योगिक क्षेत्र 1167 हेक्टेयर भूमि पर 433 करोड की लागत से विकसित किये हैं। विगत एक दशक में जॉब फेयर के माध्यम से वेलफेयर तथा कैरियर काउन्सिलिंग की दिशा में भी अभूतपूर्व कार्य हुआ है। वर्ष 2008-09 में जॉब फेयर के माध्यम से वेलफेयर का लक्ष्य 10,000 जॉब का था इसमें कुल 47 जॉब फेयर आयोजित किए जिसमें नियुक्ति हेतु चयनित आवेदकों की संख्या निजी क्षेत्र में 9652, भारतीय वायुसेना में 910 थी, कुल 10,562 जॉब मिले।

● **प्रो. रामदेव भारद्वाज**
(डायरेक्टर, मध्यप्रदेश भोजमुक्त विश्वविद्यालय भोपाल, मध्यप्रदेश)

लोक कल्याण और लोक मंगल के ग्यारह वर्ष...

वर्तमान शिवराज सरकार के सफल ग्यारह वर्ष पूरे हुये। बेहद कामयाब और उपलब्धियों भरे रहे ये वर्ष। प्रदेश की सात करोड़ आबादी की नई उम्मीदों के ग्यारह वर्ष। किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली में निरंतर विकास के लिये सरकार के संकल्प मूलतः जनकल्याण के ही होते हैं। वह सभी क्षेत्र, वर्ग, धर्म, संप्रदाय और जातियों के जीवन स्तर में सुधार के लिये होते हैं। म.प्र. सरकार ने सतत इन्हीं लक्ष्यों के लिये काम किया। आज म.प्र. संपूर्ण भारत में एक आदर्श और तेजी से आगे बढ़ता हुआ राज्य है। पिछड़ेपन और बीमारी के कलंक से मुक्त होकर प्रगति के शिखर की ओर बढ़ता राज्य है। निःसंदेह प्रगति का श्रेय सरकार के अच्छे कामों, समर्पण और योजनाबद्ध नीतियों को जाता है। प्रदेश सरकार की अनेक नीतियाँ अब पूरे देश और दुनिया में एक बेमिसाल मॉडल के रूप में स्थापित हुई हैं। नीतियों की दिशायें और उनके पीछे छिपी भावना के पीछे सबका कल्याण है। प्रदेश के लोग सुखमय जीवन जी सकें। वे शिक्षित हों, स्वस्थ रहें और उनको आजीविका के सम्मानजनक साधन मिल सकें। सदैव यही संकल्प रहा। इस संपूर्ण चिंतन के पीछे सरकार की एक समर्पित टीम थी। टीम की कप्तानी निःसंदेह एक व्यक्ति के हाथ में रही, जो रोम-रोम से भारतीय आत्मा को आत्मसात् करता है। शासन में रहते हुये प्रत्येक क्षेत्र में सुशासन और गुणात्मक सुधार की उनकी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों से प्रदेश और समाज की तस्वीर में सार्थक बदलाव आते गये। राजनैतिक बाधाओं, अवरोधों और द्वेष को दरकिनार करते केवल विकास का संकल्प उनका ध्येय रहा।

सभी बंधनों, शंकाओं, सीमाओं और पूर्वाग्रहों से मुक्त एक सशक्त सरकार के सजग प्रहरी के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने अपने

कीर्तिमान रचे। जनजीवन के संघर्ष और जीवन की अनेक विसंगतियों से जूझते समाज की जितनी अच्छी पकड़ शिवराज जी को है, उतनी शायद किसी को भी नहीं क्योंकि वे सच्चे अर्थों में- भारत को जीते हैं और समझते हैं। अद्‌भुत नेतृत्व क्षमता के धनी, सरल, सहज, सर्वस्वीकृत, प्रखर वक्ता, राष्ट्रवादी चिंतक और सबके मित्र, सबके कल्याण की कामना करने वाले, सबके प्रिय और लाखों युवाओं और नई पीढ़ी के राजनेताओं के प्रेरणास्रोत शिवराज जी का व्यक्तित्व ही ऐसा है, जो सबको आगे बढ़ाकर सफलता के नये कीर्तिमान गढ़ता है।

सामान्यतः सत्ता के शिखर पर बैठे लोग विशेषतः राजनेता दंभ से नहीं बच पाते, पर प्रभुता पाकर भी मद होने से बचना शिवराज सिंह चौहान से सीखा जा सकता है। वे एक पुल हैं, पुरानी और नई पीढ़ी के बीच। जितना वे पुरानी पीढ़ी से सहज हैं, उतना ही एक नवयुवक कार्यकर्ता से भी हैं। उनकी राजनैतिक और प्रशासनिक प्रखरता विलक्षण है। प्रत्येक विषम परिस्थिति में भी हार न मानकर उसे अनुकूल बनाना उन्हें बखूबी आता है। उनकी संयोजन कला, नेतृत्व शक्ति और सबके बीच अपार लोकप्रियता नई पीढ़ी के नेताओं के लिये अनुकरणीय है।

उनकी अपनी शैली है, जिसे "शिवराज शैली" कह सकते हैं

दिशा भ्रमित करने वाली अनेक विषम

परिस्थितियों में वे अग्नि, अविचल और अविराम राष्ट्रवाद का परचम थामे खड़े हैं। वे एक ओर सरकार के मुखिया हैं तो दूसरी ओर म.प्र. में राष्ट्रवादियों के प्रचंड संरक्षक भी हैं। शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सरलता, सहजता, विनम्रता और देशीपन जिसे सामान्यतः कमजोरी माना जाता है, को अपनी शक्ति बना लिया। उनकी उपस्थिति और कार्यशैली सदैव प्रभावी, प्रेरणादायक, रोचक और अद्‌भुत होती है। दायित्वों के निर्वहन की उनकी अपनी शैली है, जिसे 'शिवराज शैली' भी कहा जा सकता है। एक छोटे से गाँव, जो माँ नर्मदा के तट पर बसा है, से निकले शिवराज ने अपने जीवन में अनेक संघर्ष, उतार-चढ़ाव और एक सामान्य भारतीय के सभी कष्ट देखे और भोगे हैं। समाज के कष्टों को वही समझ सकता है और दूर कर सकता है, जो उनसे जूझा हो। एक सामान्य-सा व्यक्ति अचानक सितारा नहीं बन सकता। पूरा जीवन होम करना पड़ता है। दिन-रात खून-पसीना एक करना पड़ता है। जीवन के कष्टों को झेलना पड़ता है। मुख्यमंत्री शिवराज इन्हीं संघर्षों, कष्टों से उपजे एक सितारे हैं जो अब सब की ऑखों के तारे हैं। यह सच है कि नदी, संत और सुगंध को सीमाओं में बाँधना ठीक नहीं होता, क्योंकि वे सबके लिये कल्याणकारी होते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मैंने नदी बनकर बहते, सबकी प्यास बुझाते, सबको गले लगाते और चहुँओर सुगंध फैलाते देखा है।

प्रगति को समर्पित किसी भी सरकार के सामने अनेक चुनौतियाँ होती हैं, उन चुनौतियों को स्वीकार कर विकास के निर्धारित लक्ष्यों तक पहुँचना ही सफलता है। बीते ग्यारह वर्षों में म.प्र. शासन के अनेक प्रयासों से शासन व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ा है। आम जनों के सपने पूरे हुये हैं। जटिल आर्थिक-सामाजिक संरचना के बीच परिणाम देना सहज नहीं होता। यह सुखद है कि अनेक विरोधाभासों के बीच भी सरकार का दृढ़निश्चय और सकारात्मक पहल, प्रदेश के लिये चमत्कारी साबित हुई है।

प्रदेश अनेक मोर्चों पर अग्रणी है

म.प्र. राज्य अनेक विविधताओं के बीच असीम संसाधनों से भरा राज्य है। कृषि भूमि, जल संसाधन, वन्य प्राणी, वन, खनिज के साथ विशाल मानव संसाधन की क्षमताओं के बीच समन्वय से स्थितियों में व्यापक सुधार हुआ है। प्रदेश अनेक मोर्चों पर देश भर में अग्रणी है। सात करोड़ आबादी के लिये मूलभूत सुविधायें जुटाना एक सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार ने इसी मर्म को समझकर अच्छी नीतियाँ बनाई और परिणाम दिये। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तस्वीर बदल रही है। शैक्षणिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो दक्ष और सक्षम मानव संसाधन का विकास करता है। शासन से औपचारिक शिक्षा क्षेत्र में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर, उच्च तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा में नई मंजिलें तय की हैं। स्कूली स्तर पर प्रत्येक बच्चे को स्कूल तक पहुँचाने की अभिनव पहल शानदार रही। अनेक अभियानों से स्कूल ड्रॉप आउट दर लगातार घटी है। उच्च और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आज लाखों विद्यार्थी स्नातक होकर आगे बढ़ रहे हैं। व्यावसायिक शिक्षा में सैकड़ों कौशल विकास केन्द्रों के जरिये कुशल कार्यबल तैयार होकर आजीविका और रोजगार के नये मार्ग खोल रहे हैं। शासन की सफलता इसी में है कि वह उपलब्ध संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग कर विकास की दर बढ़ाये। इस क्षेत्र में म.प्र. में अभी भी विकास की अनेक संभावनायें हैं। वर्तमान दौर तकनीकी का दौर है, अतः तकनीकी विकास ही समग्र विकास का मूल आधार है। शासन की अच्छी नीतियों से पिछले ग्यारह वर्षों में जहाँ एक ओर 06 राष्ट्रीय संस्थान स्थापित हुये हैं, वहीं दूसरी ओर पिछले कुछ वर्षों में 137 अभियांत्रिकी महाविद्यालय स्थापित हुये हैं। वर्ष 2004 में, प्रदेश में 44 पॉलीटेक्निक महाविद्यालय थे जो अब 147 हैं और 30,000 डिप्लोमाधारी इंजीनियर प्रतिवर्ष निकल रहे हैं। यह वृद्धि 480% है। शासन के सहयोग से आइसर, आई.आई.टी., आई.आई.एम., स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्कीटेक्चर जैसे विश्वस्तरीय संस्थान अब म.प्र. में हैं। कौशल विकास और रोजगार म.प्र. की एक बड़ी जरूरत है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत इस दिशा में 36 शासकीय/निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों का चयन किया गया है।

गांवों में देखे गये हैं सार्थक बदलाव

भारत के अन्य राज्यों की तरह म.प्र. की शक्ति गाँव-गाँव के संसाधन और कृषि है। अतः गाँवों के विकास के साथ कृषि विकास एक प्रमुख लक्ष्य है। शासन ने इस दिशा में अभूतपूर्व कार्य किये हैं। प्रदेश की 70% आबादी कृषि पर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से निर्भर है। अतः ग्रामीण क्षेत्र के विकास और कृषि-विस्तार पर शासन का फोकस रहा है। वर्ष 2015 में पेसा (Panchayat Extension in Scheduled Areas) प्रावधान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रदेश को

राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। इसके अलावा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियाँ हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय के अंतर्गत 2015-16 तक 20,704 आवासों का निर्माण, 57613 कि.मी. ग्रामीण सड़क का निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 53.94 लाख परिवारों को शौचालय सुविधा, 3040 ग्राम पंचायतों, 6550 ग्रामों में खुले में शौच से मुक्ति के अलावा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, वाटरशेड विकास और पंचायती राज के अंतर्गत संपूर्ण प्रदेश में चल रही योजनाओं से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की तकदीर और तस्वीर बदल रही है। कृषि विकास के लिये खाद, बीज, मिट्टी परीक्षण, सिंचाई, खाद्य उत्पादों के अच्छे समर्थन मूल्यों के जरिये किसानों, गाँवों की स्थिति में सार्थक बदलाव देखे गये हैं।

इसके अलावा पिछले ग्यारह वर्षों में कृषि क्षेत्र में उपलब्धियों का साक्षात् प्रमाण, म.प्र. को लगातार चौथा कृषि कर्मण पुरस्कार मिलना है। अब प्रदेश खाद्य उत्पादों में आत्मनिर्भर है। हमारे गोदाम अनाजों से भरे हैं। अनेक स्थानों पर प्रदेश को अन्न भंडारण के लिये अतिरिक्त भंडारण व्यवस्था चाहिये। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रदेश में अनेक इकाइयाँ आ रही हैं। इस प्रयास से खाद्य पदार्थों का मूल्य संवर्धन तो होगा ही साथ ही किसानों के लिये आय के स्रोत बढ़ेंगे। एक ओर ग्रामीण विकास की प्रगति जहाँ नई ऊँचाइयों पर है वहीं प्रदेश के नगरीय विकास में भी अद्वितीय काम हुये हैं। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजनाओं के तहत 146 नगरीय निकायों में 2000 करोड़ की योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है। म.प्र. के सात शहरों सहित भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी योजनांतर्गत देश के 100 शहरों को चिन्हित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत म.प्र. देश का पहला राज्य है, जिसके द्वारा 53 शहरों का 'हाउसिंग फॉर ऑल' एक्शन प्लान भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया। AMRUT योजना में प्रदेश को पहला

स्थान मिला। विगत ग्यारह वर्षों में 34,463 आवासीय इकाइयाँ निर्मित हुईं एवं 30,691 आवासीय इकाइयाँ आवंटित हुईं। शहरी विकास के क्षेत्र में 11 वर्षों में सड़कों, भवनों, मॉडल सड़कों, नाला निर्माण, सामुदायिक भवनों, कार्यालय भवनों, स्वीमिंग पुलों, खेल मैदानों, पार्कों, हाकर्स जोन, फ्लाई ओवर, पार्किंग स्थानों और बस अड्डों के निर्माण हुये हैं, जिन पर 16,129.39 करोड़ राशि खर्च की गई है। शहरी अधोसंरचना विकास की दिशा में भी राज्य सरकार अति सक्रिय है।

किये हैं कई नवाचार

लोक सेवा गारंटी योजना, गैर पारंपरिक स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन, नदियों के जल प्रवाह का सिंचाई, विद्युत, पेयजल और पर्यटन में सदुपयोग एक नई पहल है। पिछले ग्यारह वर्षों में म.प्र. ने पर्यटन विकास के क्षेत्र में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश को पर्यटन में अनेक नवाचारों के लिये सम्मानित भी किया गया है। तेजी से विकास की ओर बढ़ते म.प्र. को देश में प्रथम बनाने का संकल्प साकार होगा, यह विश्वास है। प्रदेश के विकास हेतु म.प्र. शासन ने जो संकल्प और दृढ़ता प्रदर्शित की है, उसे जारी रखना होगा। प्रदेश को आगे अनेक मंजिलें तय करनी हैं। अनेक क्षेत्र हैं, जहाँ योजनाओं को जमीन पर उतारना है।

● **प्रो. कृपाशंकर तिवारी**
(निदेशक, दूरस्थ शिक्षा, नवाचार एवं कौशल विकास, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल)

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 11 वर्ष जनकल्याण के

मध्यप्रदेश में चौमुखी विकास के ग्यारह साल

यकीनन पिछले 11 वर्षों में मध्यप्रदेश आर्थिक विकास की डगर पर तेजी से आगे बढ़ा है। श्री शिवराजसिंह चौहान ने 11 वर्ष पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश को पिछड़ेपन और बीमारू छबि से मुक्त करने के लिए प्रदेश के संसाधनों के उपयोग के मद्देनजर प्रदेश के आर्थिक विकास का जो सपना संजोया, उस सपने को साकार करने में वे बहुत कुछ सफल हुए हैं। वस्तुतः प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने छह प्रमुख घटकों अधोसंरचना विकास, बिजली उत्पादन में वृद्धि, कृषि विकास, कारोबार सुगमता, औद्योगिक विकास और विदेशी निवेश में वृद्धि की रणनीति अपनाई है। प्रदेश के विकास की ऐसी रणनीति से आज दुनिया के मानचित्र पर आर्थिक और औद्योगिक प्रदेश के रूप में मध्यप्रदेश की पहचान बनी है। मध्यप्रदेश अब देश के सबसे तेजी से बढ़ते हुए विकासशील राज्यों की श्रेणी में आ गया है। सरकार के पिछले 11 वर्षों के अथक प्रयासों से अब ब्रांड मध्यप्रदेश देश ही नहीं, दुनिया के प्रगतिशील राज्यों में स्थापित हो चुका है। प्रदेश के औद्योगिक वातावरण, सर्वश्रेष्ठ अधोसंरचना, रेल, रोड एवं एयर कनेक्टिविटी, औद्योगिक शांति जैसी अनुकूलताओं के कारण विदेशी कंपनियाँ प्रदेश में पूँजी निवेश को प्राथमिकता दे रही हैं।

विकास दर और जीडीपी में तेज वृद्धि- यदि हम 11 वर्ष पूर्व के मध्यप्रदेश के विकास संबंधी आँकड़ों की तुलना वर्तमान आँकड़ों से करें तो पाते हैं कि मध्यप्रदेश ने पिछले 11 वर्षों में तेज आर्थिक विकास किया है।

वर्ष 2004-05 में प्रदेश की विकास दर महज पाँच फीसदी थी वह वर्ष 2015-16 में दस फीसदी हो गई है। मध्यप्रदेश विकास दर के मामले में देश के बड़े राज्यों में सबसे आगे है। प्रदेश की विकास दर पिछले 7 वर्ष से लगातार दहाई अंक में है।

पिछले वित्त वर्ष 2015-16 में राज्यों की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 16.62 फीसदी रही है। इतना ही नहीं, प्रतिव्यक्ति आय में अच्छी वृद्धि हुई है। वर्ष 2015-16 के दौरान प्रदेश में प्रतिव्यक्ति आय 60 हजार रुपये से अधिक पाई गई है। जबकि वर्ष 2004-05 में प्रदेश में प्रतिव्यक्ति आय सिर्फ 15 हजार 442 रुपये थी।

बुनियादी ढांचा और बिजली उत्पादन में भारी वृद्धि- आर्थिक विकास के लिए मध्यप्रदेश ने बिजली और सड़क विकास को प्राथमिकता से आगे बढ़ाया है। बिजली उत्पादन में मध्यप्रदेश पिछले 11 वर्षों में तेजी से आगे बढ़ा है। कभी मध्यप्रदेश में बिजली का आना एक खबर हुआ करती थी। आज मध्यप्रदेश बिजली सरप्लस राज्य है। वर्ष 2003-04 में उपलब्ध विद्युत क्षमता 4 हजार 673 मेगावॉट थी। प्रदेश में वर्तमान में वर्ष 2015-16 में दीर्घकालीन अनुबंधों के आधार पर उपलब्ध विद्युत क्षमता 17169 मेगावॉट हो गई है। जबकि प्रदेश की बिजली मांग करीब 13 हजार मेगावॉट है।

कृषि विकास दर बढ़ी- यदि हम मध्यप्रदेश का कृषि परिदृश्य देखें तो पाते हैं कि पिछले 11 वर्षों में मध्यप्रदेश में कृषि का तेज गति से विकास हुआ है। प्रदेश की कृषि विकास दर पिछले चार वर्ष से 20 प्रतिशत से अधिक रही है। मध्यप्रदेश को लगातार चार बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रदेश द्वारा कृषि क्षेत्र में 12 प्रतिशत सालाना दर से एक दशक तक वृद्धि करना देश में अप्रत्याशित घटना है।

कारोबार सुगमता का परिदृश्य- 2 नवंबर, 2016 को वर्ल्ड बैंक और औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा भारत में कारोबार सुधार के अमल में राज्यों की आकलन रिपोर्ट 2016 में कहा गया है कि भारत में कारोबार में आसानी के लिहाज से मध्यप्रदेश पांचवें क्रम पर है। इस रिपोर्ट के तहत कुल 10 क्षेत्रों से जुड़े सुधार, नीतियां और काम के तौर-तरीकों को रैंकिंग का आधार बनाया गया। इनमें एकल खिड़की मंजूरी, कर सुधार, श्रम और पर्यावरण सुधार, विवाद समाधान और कंस्ट्रक्शन परमिट प्रमुख हैं।

औद्योगिक विकास का उभरता परिदृश्य- मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए पिछले 11 वर्षों में 85 बिलियन

डॉलर से ज्यादा का पूंजी निवेश हुआ है। प्रदेश में पिछले 11 वर्षों में 2 लाख 37 हजार से ज्यादा सूक्ष्म और लघु उद्योग स्थापित हुए हैं। इनमें करीब 6 लाख लोगों को रोजगार मिला है। मध्यप्रदेश की औद्योगिक विकास दर 8 फीसदी है। मध्यप्रदेश में मजबूत औद्योगिक बुनियादी ढांचा निर्मित हुआ है। भेल, नेशनल फर्टिलाइजर लि., सिक्युरिटी पेपर मिल, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, अल्कलॉयड, ऑर्डनेंस फैक्ट्री, गन कैरिज फैक्ट्री, नेपा मिल्स जैसी कई बड़ी सरकारी कंपनियां इसी राज्य में हैं। औद्योगिक निवेश की सुविधा के लिए 231 अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र, 19 विकास केंद्र, चार अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और 12 उत्पाद विशिष्ट औद्योगिक पार्क हैं। निश्चित रूप से मध्यप्रदेश में निवेश के कई क्षेत्र चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश में विकसित किए जा रहे चार नये इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर भोपाल-इंदौर, भोपाल-बीना-सागर, जबलपुर-सतना-सिंगरौली और मुरैना-ग्वालियर-गुना को कार्यान्वयन की डगर पर तेजी से आगे बढ़ाया गया है। इंदौर में जो बड़ी-बड़ी आई.टी. कंपनियां आ रही हैं उनको हरसंभव सहयोग देकर आगे बढ़ाया जा रहा है।

ग्लोबल मीट और विदेशी निवेश- मध्यप्रदेश में बीते 11 वर्षों में उद्योग कारोबार के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) तेजी से बढ़ा है। मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाओं को देश-विदेश के निवेशकों के सामने प्रस्तुत करने के लिए पिछले एक दशक में प्रदेश में 5 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और रीजनल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजनों का सार्थक प्रयास हुआ है। इंदौर में 22 एवं 23 अक्टूबर, 2016 को आयोजित पांचवीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) में आशा के अनुरूप 42 देशों से आए 4 हजार से अधिक प्रतिनिधियों ने 2630 एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट (ईओआई) के जरिए 5.62 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। ये प्रस्ताव प्रमुख रूप से ऊर्जा, पर्यटन, टेक्सटाइल्स, कृषि व खाद्य प्रसंस्करण, ऑटो कम्पोनेंट, खनिज, फार्मा, शहरी विकास, मोबाइल, हैंडसेट, आईटी जैसे

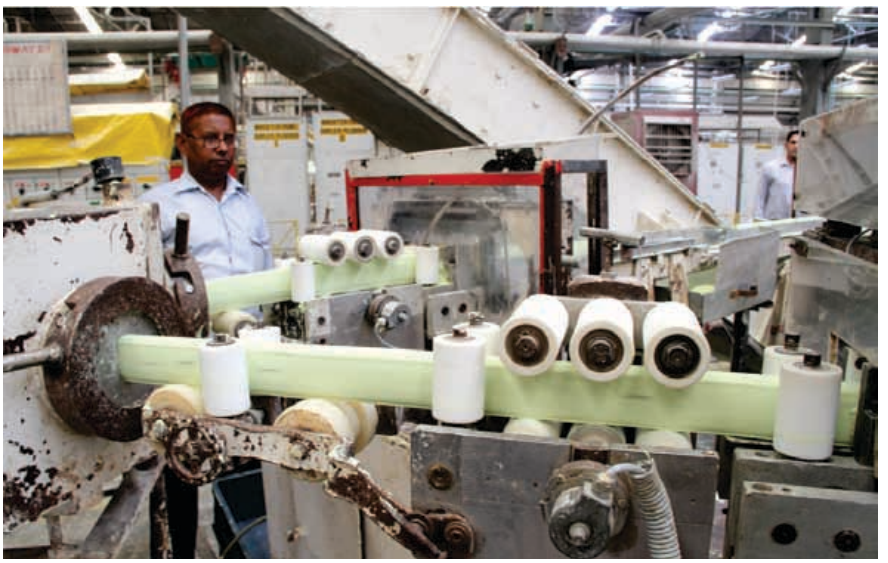

सेक्टर से संबंधित हैं।

मानव संसाधन- मध्यप्रदेश में आर्थिक और औद्योगिक जरूरत के लिए शिक्षा एवं मानव संसाधन का पिछले 11 वर्षों में अच्छा विकास हुआ है। वर्तमान में प्रदेश में स्थापित 224 इंजीनियरिंग कॉलेजों, 191 शासकीय और 385 प्रायवेट आईटीआई के साथ-साथ 135 कौशल विकास केन्द्र हैं। निःसंदेह पिछले 11 वर्षों में मध्यप्रदेश को पर्यटन प्रदेश बनाने का चमकीला लक्ष्य रखकर प्रदेश में पर्यटन संसाधनों को लगातार बढ़ाया गया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में वर्ष 2015 में देशी पर्यटकों की कुल संख्या 143.2 करोड़ थी। जहाँ पहले क्रम पर 33.34 करोड़ देशी पर्यटकों के साथ तमिलनाडु पहले क्रम पर था, वहीं 7.79 करोड़ देशी पर्यटकों के साथ मध्यप्रदेश सातवें क्रम पर था। इसके साथ-साथ वर्ष 2015 में देश में मध्यप्रदेश विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले राज्यों में 11वें क्रम पर रहा। मध्यप्रदेश को विकसित और खुशहाल प्रदेश बनाने के लिए यह जरूरी है कि प्रदेश के विकास में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उनका उपयुक्त रूप से समाधान किया जाए। आर्थिक शोध संस्थान नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनामिक रिसर्च (एनसीएईआर) के द्वारा विदेशी निवेश पर प्रकाशित रिपोर्ट-2016 के अनुसार विदेशी निवेश आकर्षित करने वाले प्रमुख 10 राज्यों में मध्यप्रदेश शामिल नहीं है। प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन और आर्थिक संभावनाओं को साकार करने के लिए मध्यप्रदेश के द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्राप्त हुए निवेश प्रस्तावों का अधिकतम क्रियान्वयन भी जरूरी है। निश्चित रूप से राज्य में कारोबार प्रक्रिया की निर्बाध सुविधा के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने जो निवेशक अनुकूल नीतियाँ और एकल खिड़की व्यवस्था बनाई है, उन्हें कारगर बनाना होगा। प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता, दूरसंचार और परिवहन की उपयुक्तता का कारगर क्रियान्वयन जरूरी होगा। इस समय मध्यप्रदेश के शैक्षणिक और आर्थिक विकास की सबसे पहली जरूरत शैक्षणिक गुणवत्ता का विकास करना है। मेक इन मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश में स्टार्टअप और बढ़ते विदेशी निवेश की नई संभावनाओं के कारण गुणवत्तापूर्ण योग्यताओं के युवाओं की मांग बढ़ रही है। ऐसे में प्रदेश के छात्रों को अच्छे रोजगार के लिए तैयार करने हेतु उन्हें मानव संसाधन (ह्यूमन रिसोर्स) और पेशेवर बनाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार को रणनीतिक रूप से आगे बढ़ना होगा। यदि मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के द्वारा इन सब बातों पर और अधिक प्राथमिकता के साथ ध्यान दिया गया, तो निश्चित रूप से 2020 तक मध्यप्रदेश देश का विकसित प्रदेश बन सकेगा।

● **डॉ. जयंतीलाल भंडारी**

(लेखक ख्यात अर्थशास्त्री हैं)

जल-जंगल और जमीन
विकास के ग्यारह साल

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास को नए आयाम दिए हैं। सड़क, बिजली, पानी सहित सभी पक्षों पर समग्र स्वरूप में प्रयास हुए जिसके परिणाम हमारे सामने हैं।

उन्होंने गांवों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ग्रेवल रोड बनाकर उन गांवों तक पहुंचने की राह सरल और सहज बनाई है जो पीएम रोड के दायरे से छूट गईं थीं। गांवों में पेयजल के लिए नल जल योजना के जरिए पाइप लाइनों से पानी पहुंचाने का काम भी किया गया है। प्रदेश को सरप्लस बिजली वाला स्टेट बनाने के साथ ही गांवों में 24 घंटे बिजली और खेतों में दस घंटे बिजली देने की योजना को भी अंजाम देने का काम उन्होंने किया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव भी खुद ठेठ देहाती पृष्ठभूमि के हैं। इसलिए मुख्यमंत्री के विजन को ना तो समझने में उन्हें कोई कठिनाई आई और ना उसको जमीन पर उतारने में कोई दिक्कत हुई।

भौगोलिक आकार के लिहाज से राजस्थान के बाद दूसरे सबसे बड़े प्रदेश में फैले 55 हजार गांवों तक विकास की रोशनी पहुंचाना कम चुनौती वाला काम नहीं है। राजस्थान से भी ज्यादा फैलाव इस मामले में कहा जा सकता है क्योंकि राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा रेगिस्तान का है। जहां विकास की गुंजाईश ना के बराबर है। लेकिन मध्यप्रदेश में बड़ा हिस्सा जंगल और पहाड़ों वाला है। जाहिर है कि विकास की कई योजनाओं की राह में वन संरक्षण कानूनों का जटिल मकड़जाल भी आता है। बावजूद इसके मध्यप्रदेश के गांवों का दीदार करें तो आधुनिक भारत के बदलते गांवों का आसानी से अहसास किया जा सकता है। बदलाव की बयार ने सड़क, बिजली और पानी से गांवों को ही तर नहीं किया बल्कि गांवों में स्व-सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार के नए रास्ते खुले हैं तो कुटीर उद्योगों की संभावनाएं हरेक गांव को आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ा रही हैं। बात सिर्फ शिवराज सिंह चौहान या गोपाल भार्गव के सपनों तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत की मुहिम को भी परवान चढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं।

प्रदेश के 58.94 लाख परिवारों को शौचालय सुविधा मुहैया कराई गई है। राज्य की 22824 ग्राम पंचायतों में से 3040 ग्राम पंचायत तथा 6550 ग्राम खुले में शौच के कलंक से मुक्त हो चुके हैं। इंदौर एवं हरदा जिले के सभी गांवों के साथ प्रदेश के 14 विकासखण्ड खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। बेघर ग्रामीणों को आवास देने की योजनाओं पर भी काम तेजी से हो रहा है।

जनवरी 1996 से शुरू हुई इंदिरा आवास योजना के तहत 2004 से 2011-12 तक 9 लाख 28 हजार 489 आवास निर्मित हुए हैं। मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास योजना वर्ष 2007-08 से शुरू हुई। इसमें ग्रामीण बीपीएल आवासहीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए 2015 तक 26 हजार 704 आवास निर्मित हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 11 वर्षों के दौरान 57 हजार 618 कि.मी. लंबे 13 हजार 153 किमी सड़कें बनी हैं। इस

पर 15 हजार 410 करोड़ खर्च करके 13 हजार 50 गांवों को जोड़ा गया है। इसके लिए 95 बड़े पुलों का निर्माण भी कराना पड़ा है। अगस्त 16 तक इन सड़कों की मरम्मत पर भी 2 हजार 516 करोड़ खर्च करके इसमें 18 हजार 766 किमी. मार्गों का नवीनीकरण भी शामिल है। बीते साल के दौरान निर्मित मार्गों की मरम्मत पर 365 करोड़ के खर्च से 2,240 किमी. मार्ग की सेहत सुधारी गई है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में गैर आदिवासी क्षेत्र में 500 तथा आदिवासी क्षेत्र में 250 आबादी से कम के ग्रामों को बारहमासी आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2010-11 से अब तक 18 हजार 580 किमी लंबी 8026 सड़कों का निर्माण हुआ है। इस पर वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर कुल स्वीकृत 8026 सड़कें लंबाई 18,580 किमी लागत 6 हजार 473 करोड़ का खर्च हुआ है।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के तहत दूध प्रदाय योजना के तहत जुलाई 2015 से प्रदेश की प्राथमिक शालाओं व आंगनवाड़ियों के बच्चों को सप्ताह में तीन दिवस (सोमवार, बुधवार, शुक्रवार) दूध पावडर 5 फ्लेवर में (रोज, इलाइची, स्ट्राबेरी, पाइनएप्पल एवं चॉकलेट) से तैयार कर तरल दूध का प्रदाय किया जा रहा है। प्रदेश के लगभग 1.15 लाख स्कूलों में से अब तक 32 हजार 850 स्कूलों को गैस कनेक्शन हेतु राशि जारी की जा चुकी है। शेष स्कूलों में चरणबद्ध रूप से विस्तारित किया जा रहा है। गैस कनेक्शन शाला प्रबंधन समिति के नाम से लिया जाकर स्वसहायता समूह को मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अन्तर्गत खाना पकाने हेतु उपलब्ध कराया जाता है। नीमच प्रदेश का पहला जिला है जहां शत प्रतिशत लक्षित स्कूलों में रसोई गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। तैयार भोजन का नमूना हर स्कूल में एक सीलबंद टिफिन में 24 घंटे के लिए रखा जाता है।

तिथि भोज

प्रदेश के कई जिलों में समाज के गणमान्य एवं संपन्न लोगों के माध्यम से मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में विशेष अवसरों पर जैसे जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ,

पुण्यतिथि आदि अवसरों पर शाला के विद्यार्थियों के लिए तिथि भोज का आयोजन

बाजार लगते हैं ऐसी ग्राम पंचायतों में कुल 1119 ग्रामीण हाट बाजार के कार्य रु. 277.76 करोड़ के स्वीकृत किये गये हैं जिसमें 197 कार्य पूर्ण एवं 922 कार्य प्रगतिरत हैं। ई-पंचायत निर्माण/कनेक्टीविटी के तहत 4359 ग्राम पंचायतों में ई-कनेक्टीविटी एवं कम्प्यूटर व्यवस्था हेतु ई-पंचायत कक्ष बन रहे हैं। 20659.92 लाख की राशि के स्वीकृत। 1734 कक्ष पूर्ण शेष प्रगतिरत। 23 हजार ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर सेट, प्रिंटर, एलसीडी, स्केनर, वेब केमरा एवं यूपीएस प्रदाय करने हेतु प्रति ग्राम पंचायत को रु. 1.00 लाख के मान से कुल 23 करोड़ दिए गए हैं। ब्राडबेंड कनेक्टिविटी मुहैया कराने के लिए बीएसएनएल ने 1822 तथा एयरटेल ने 986 गांवों में मुहैया कराई है।

बीबीएनएल/नोफन (भारत सरकार का प्रोजेक्ट)- प्रथम चरण में 140 जनपदों के 10520 ग्राम पंचायतों में कनेक्टिविटी का कार्य प्रगतिरत है। भारत सरकार के वेब पोर्टल पर परिवार की यूनिक आईडी से लिंक किया गया है। राशि भुगतान सरलीकृत कर पात्र हितग्राही को एफटीओ के माध्यम से शौचालय निर्माण के लिये प्रोत्साहन राशि हितग्राही के बैंक खाते में जारी की जा रही है।

मनरेगा के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पर काम हो रहा है। गूगल शीट के माध्यम से जिलों में मनरेगा क्रियान्वयन की मानीटरिंग हो रही है। मनरेगा संचार साफ्टवेयर से ग्राम पंचायत स्तर तक

मनरेगा क्रियान्वयन के आवश्यक संदेश प्रसारित होते हैं। ई-फाईल ट्रैकिंग साफ्टवेयर- उत्तरा का मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद में आवेदकों द्वारा दिये गये पत्रों पर अविलंब कार्यवाही एवं प्रचलित फाईलों के ट्रैकिंग के लिये प्रयोग किया जा रहा है। ई-एफएमएम (इलेक्ट्रानिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम) के जरिए मनरेगा के क्रियान्वयन को बेहतर बनाने, मजदूरी भुगतान समय सीमा में सुनिश्चित कराने एवं सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से मनरेगा क्रियान्वयन की बेहतर मानीटरिंग के लिये मध्यप्रदेश में इलेक्ट्रानिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। मध्यप्रदेश द्वारा की गई इस पहल को अन्य राज्यों द्वारा भी अनुकरण किया है। मध्यप्रदेश में 1 अप्रैल 2014 से यह प्रणाली लागू की गयी। जिसके तहत काम करने वाले मजदूरों की एंट्री ऑनलाइन मनरेगा पोर्टल पर की जाती है तथा ई-मस्टर रोल निकाला जाता है। एक सप्ताह के पश्चात इस ई-मस्टर के मूल्यांकन उपरांत पोर्टल में एंट्री की जाती है तथा मजदूरी के फण्ड ट्रांसफर आर्डर (एफटीओ) जारी करके मजदूरों के खातों में राशि ई-ट्रांसफर की जाती है। यह सारी प्रक्रिया मनरेगा के पोर्टल पर प्रदर्शित होती है जिससे समय सीमा में मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित होता है क्रियान्वयन

की मानीटरिंग करना आसान होती है।

एक ही खाते से राशि का भुगतान- मध्यप्रदेश में मनरेगा का प्रदेश स्तर पर एक ही अकाउण्ट संधारित किया जाता है। इस अकाउण्ट से ही पूरे प्रदेश में मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2015 से लागू की गयी है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 02 अक्टूबर 2019 तक समस्त ग्रामीण क्षेत्र की 22,824 ग्राम पंचायत तथा 53,738 ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य है।

● **राजेश सिरोठिया**
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं।)

ग्यारह वर्ष की विकास यात्रा

H$ma, A{dH$mg go ‘mQ>©-{dboO H$s A

यह तो नहीं कहा जा सकता कि इन ग्यारह वर्षों के पहले कुछ भी नहीं हुआ था। प्रयास हुए हैं, योजनाएं बनी हैं, नीतियों और प्राथमिकताओं का निर्धारण भी हुआ है। हजार कोशिशों के बावजूद मध्यप्रदेश के गांव, कस्बे मजरे और टोले अंधकार से भी नहीं उबर पाए थे। गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बातें तो दूर बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए भी हाय तौबा हो रही थी।

ऐसे माहौल में तेरह साल पहले इस सरकार ने अपनी यात्रा आरंभ की और ग्यारह साल पहले प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना काम संभाला और गांवों के विकास के लिए विश्वासपूर्वक वर्तमान ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव को काम सौंपा। हालांकि आरंभिक दिनों में यह दायित्व श्री नरेन्द्र सिंह तोमर को मिला। श्री तोमर भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और अपने सार्वजनिक एवं राजनैतिक जीवन में उन्होंने ग्रामीण समस्याओं का गहराई से अध्ययन किया है। उन्हें अन्य दायित्व मिलाने के बाद यह प्रश्न आया कि यह मंत्रालय किन्हें सौंपा जाए ताकि ग्रामीण विकास से बुनियाद रखी गई है, उस पर कोई ऐसी इमारत तैयार हो जिसे देखने के लिए पूरे देश और पूरी दुनिया के सामने उदाहरण बने। इसके लिए संगठन और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान दोनों की नजर श्री गोपाल भार्गव पर गई। और वाकई मानो चमत्कार हो गया। गांवों में केवल सड़कों का जाल बिछा बल्कि रोशनी से जगमगा गए। यह योजनाओं की यथार्थता, नेतृत्व के आह्वान तथा विभागीय अमले के तालमेल का असर है कि मध्यप्रदेश पिछले चार सालों से कृषि कर्मण अवार्ड जीत रहा है।

भारत की बुनियाद गांवों में है। शहरों का ही क्यों समूचे संसार के जीवन का आधार गांव हैं। गांवों से ही आते हैं फल, सब्जी, अनाज, दालें सब जिनसे संसार का जीवन चलता है। इसीलिए सरकार ने सबसे ज्यादा ध्यान गांवों पर दिया। पानी, सड़क और बिजली इस सरकार के काम की प्राथमिकता में थे। आंकड़ों से यह अंतर साफ दिखता है कि ग्यारह साल पहले बिजली की हालत क्या थी, सड़कों की हालत क्या थी और पीने के पानी की कितनी किल्लत थी। पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गांवों को नगरों अथवा राजपथ (हाइवे) से जोड़ने का अभियान चला। अब प्रदेश में ऐसा कोई गांव नहीं जो किसी न किसी मुख्य मार्ग से न जुड़ा हो। गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के बाद अब मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना के अंतर्गत प्रत्येक खेत को ग्राम की मुख्य सड़क से जोड़ने का अभियान शुरू किया। सड़कें न केवल जीवन को गति देती हैं बल्कि ग्राम्य उत्पाद को नगरों तक पहुंचाने में सहायक होती हैं। फूल और सब्जी दो ऐसे उत्पाद हैं जिनको खेत से उपभोक्ता तक पहुंचने में कम से कम समय लगना चाहिए। इसलिए खेतों का सड़क से संपर्क बेहद जरूरी है। इस व्यवहारिकता को मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री दोनों समझते हैं, चूंकि दोनों की पृष्ठभूमि ग्रामीण है। उनके संपर्क गांवों में हैं और आज भी मुख्यमंत्री समय निकालकर अक्सर अपने गांवों जाते हैं और कपड़े उतारकर नर्मदा मैय्या में छलांग लगा देते हैं।

फूल से लेकर अनाज तक के उत्पादन को पानी की जरूरत होती है। ग्यारह साल पहले हालत यह थी कि खेतों को सिंचाई के लिए तो दूर पीने के लिए पानी पर्याप्त नहीं था। इसके लिए ‘नदी लिंक’ योजना लागू

की। कुओं में, बावड़ी में पानी सूख गया था, ट्यूबवेल आदि से धरती का पानी नीचे जा रहा था। इस समस्या का समाधान केवल बरसात के जल को रोकने से ही हो सकता है। इसीलिए मुख्यमंत्री ने पहले नदी और तालाबों की सफाई, गहरीकरण का काम शुरू किया। इसके साथ खेत तालाब योजना आरंभ की ताकि खेत का पानी खेत में रुके। नदी-लिंक योजना के तहत नर्मदा को क्षिप्रा से लिंक किया जिससे नगरों की न केवल पेयजल समस्या का समाधान हुआ बल्कि सिंचाई के लिये भी पानी मिलने लगा।

ग्रामीण विकास और कृषि उत्पादन में जितना महत्व सड़क और पानी का है उससे ज्यादा महत्व बिजली का है। बिजली के बिना पानी न तो साफ हो सकता है और न खेतों में जा सकता था। यह इन ग्यारह वर्षों में हुआ चमत्कार है कि जिस राज्य में बिजली की मारा-मारी होती थी, आज मध्यप्रदेश बिजली में सरप्लस स्टेट है। बिजली, पानी के कारण सिंचाई का रकबा बढ़ा, कृषि उत्पादन बढ़ा जिससे मध्यप्रदेश की कृषि विकास दर देश में सबसे ज्यादा हो सकी और सड़कों के जाल के कारण कृषि उत्पाद जिसमें फूल-फल सब्जी जैसे उत्पाद हैं कम से कम समय में नगरीय उपभोक्ता तक आ सके।

इन बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों पर तालमेल के साथ काम किया। यदि शरीर स्वस्थ नहीं होगा, मस्तिष्क समृद्ध नहीं होगा तब विकास की 'दिशा-धारा' प्रबल नहीं होगी। स्कूलों का उन्नयन, ग्रामीण क्षेत्रों में नए-नए महाविद्यालय, सभी वर्गों के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति, सायकल वितरण आदि ऐसे काम थे जिससे शिक्षा का स्तर सुधरा और प्रतिशत बढ़ा। इसके साथ गाँवों में प्रसवकालीन मौतों की बड़ी समस्या थी। इसके लिए संस्थागत प्रसव योजना, जननी एक्सप्रेस जैसी योजनाएं लागू कीं जिससे बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ जिससे शिक्षा का मानक और स्तर दोनों में सुधार हुआ।

गांवों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ आदर्श ग्राम योजना लागू की। इसका कारण यह है कि सरकार की यह धारणा एक दम स्पष्ट है कि यदि गांवों का उदय होगा तो ही राष्ट्र का उदय होगा। यदि गांव कमजोर हैं, अविकसित हैं, अंधेरे में हैं तब राष्ट्र का विकास कैसे होगा। राष्ट्र प्रकाश में कैसे आयेगा। इसीलिए नारा दिया कि ग्राम उदय तो राष्ट्र उदय। इसका शुभारंभ स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इन्दौर जिले के महू में आकर किया। इस अभियान में विभिन्न वर्गों, वर्णों और व्यक्तियों के बीच समरसता, कृषि एवं किसान की आय को दुगुना करना, महिला सशक्तिकरण, पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन तथा गांवों के युवाओं में स्व-रोजगार का अभियान तथा उनके कौशल विकास पर जोर दिया जाने लगा।

इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य गांवों में जागृति, कौशल विकास तथा स्वरोजगार से जोड़ना है। इससे गांवों से पलायन रुकेगा। गांवों से नगरों की ओर पलायन से दोनों तरफ का नुकसान है। एक तो गांवों से कौशल का खात्मा दूसरे नगरों में असंतुलन। इस योजना से संतुलन बना, कौशल को अपने ही क्षेत्र में विकास का अवसर मिला।

कोई भी जीवन प्रकृति के नियमों के विपरीत विकसित नहीं होता, उसमें विकृतियां आयेंगी। यदि जीवन को समृद्ध रखना है तो प्रकृति की नैसर्गिकता में ही संतुलन बनाने का मार्ग खोजना होगा। इसीलिए मध्यप्रदेश में रासायनिक खाद की खपत कम करने के लिए जैविक खाद और खेती पर जोर दिया जाने लगा। इसके लिए जागृति अभियान चलाए जा रहे हैं, संबंधित विभागों के अधिकारियों के बीच भी और किसानों के बीच भी। इन अभियानों की एक पूरी श्रृंखला है।

मिट्टी के परीक्षण से लेकर उन्नत बीज

की उपलब्धता तक सरकार, उनका पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग कृषि विभाग से तालमेल बिठाकर विकास की बुनियाद को समृद्ध करने में लगा है। इसमें समूची पंचायतें, पंचायतों में काम करने वाले जन प्रतिनिधि तथा विभागीय तंत्र सबके बीच एक बेहतर तालमेल के कारण ही मध्यप्रदेश को केन्द्र से अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए जिसमें कृषि कर्मण अवार्ड से लेकर पंचायत प्रबंधन तक मध्यप्रदेश में किए गए कामों की केन्द्र में सराहना की गई। प्रकृति ने प्रत्येक व्यक्ति को एक विशेष प्रज्ञा प्रदान की है। यदि समाज में समूह है तो उसमें निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की प्रज्ञा का प्रयोग होना चाहिए। इसके लिए पंचायत स्तर पर ग्रामीणजनों के बीच खुली बहस का प्रावधान आरंभ हुआ। बिल्कुल संसद की तर्ज पर ग्रामीणजन अपने गांव के विकास का एक रोडमेप तैयार करते हैं। उसका परीक्षण विभागीय स्तर पर होता है तथा गांवों के विकास के लिए किए जाने वाले प्रावधानों में इस पंचायत की संसद के निष्कर्षों को शामिल किया जाता है।

सामान्यतया विकास अथवा प्रगति का मार्ग सुशासन से, आत्मनिर्भरता से ही संभव है। इन ग्यारह सालों में इसी दिशा में काम आरंभ किया गया है। ग्रामों में पेयजल व्यवस्था ले लेकर आवास निर्माण, रोजगार, गांवों के विकास की योजनाएं गांवों में बनने का ही नतीजा है कि आज राष्ट्र के विकास में मध्यप्रदेश के ग्राम सबसे आगे हैं।

● **रमेश शर्मा**
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं)

पक्की सड़कों के निर्माण ने नेतनगांव को किया गंदगी मुक्त

हमारे गांव का विकास गंदगी और कीचड़ के कारण कई वर्षों से अवरुद्ध था, शहर से किसी मेहमान के आने पर हमें शर्मिंदगी महसूस होती थी। शहरी लोग हमारे गांव में चहुंओर फैली गंदगी और कच्चे गंदें मार्गों की हमेशा निंदा करते थे परंतु आज वहीं लोग हमारे गांव आने पर नेतनगांव को शहरों से भी साफ सुधरा गांव कहते हैं। यह कहना है पुनासा जनपद की ग्राम पंचायत नेतनगांव के निवासियों का। नेतनगांव में 401 परिवार के 1915 लोग निवास करते हैं। यह सभी लोग उनके गांव में चहुंओर पैर पसारी गंदगी और कीचड़ को उनका दुर्भाग्य समझ कर जीवन व्यतीत कर रहे थे, यूं तो ग्रामीण विकास की कई योजनायें नेतनगांव में भी क्रियान्वित की गयीं परंतु किसी योजना के द्वारा इस गांव की गंदगी पर पूरी तरह विराम नहीं लग पाया था। नेतनगांव को गंदगी और कीचड़ से मुक्ति दिलाने में मनरेगा योजना और पंच-परमेश्वर योजना के समन्वय से बनने वाले पक्के सीमेंट मार्ग कारगर साबित हुये हैं। आज नेतनगांव में हर ओर साफ सुथरा परिवेश नजर आता है तो यह इन्हीं पक्के मार्गों के कारण संभव हुआ है। मनरेगा योजना और पंच-परमेश्वर योजना के संयोजन के द्वारा नेतनगांव में 7 पक्के मार्गों का निर्माण करवाया गया है। सबसे पहले गांव के मुख्य मार्ग को गंदगी विहीन करने के लिये यहां पर सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। यह मार्ग लंबा होने के कारण यहां 4 भागों में सड़क का निर्माण किया गया है, इस मार्ग पर पंचायत भवन, राम मंदिर, मांगलिक भवन और राजपूत मोहल्ला आते हैं। इन सभी स्थानों पर ग्रामीणों की आवाजाही सबसे ज्यादा थी और यही मार्ग गांव का सबसे गंदा मार्ग हुआ करता था परन्तु पक्की सड़क बन जाने के बाद आज यह गलियां पहचानने में ही नहीं आती हैं। यही स्थिति हरिजन मोहल्ले की भी थी। यहां भी अनुसूचित जाति के 100 परिवार गंदगी और कीचड़ के बीच जीवन-यापन करने पर मजबूर थे, हरिजन मोहल्ले में पक्के मार्ग बन जाने के उपरांत आज यह परिवार भी स्वच्छ और निर्मल वातावरण में जीवन-यापन कर रहे हैं। लगभग 30 लाख रुपये की लागत से निर्मित इन पंच-परमेश्वर मार्गों पर मनरेगा अंतर्गत 12 लाख रुपये व्यय किये गये हैं जिसके माध्यम से लगभग 7 लाख रुपये ग्राम के मजदूरों को पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त हुये हैं। इन सभी मार्गों के साथ पक्की नालियां भी बनवायी गयी हैं।

bmoH$V § H$r H$gm ¡ Q>r na Iao

शिवराज के ग्यारह साल

रामायण और महाभारत भारतीय संस्कृति का मूलाधार हैं। महाभारत में एक बोधि कथा है कि बच्चों की पहली इच्छा होती है दूध और उसे लेकर युद्ध भी हो सकता है। गुरु द्रोण के बालक अश्वत्थामा को दूध पीने की इच्छा थी। मां उन्हें आटा घोलकर पिलाती थी। द्रोण के पास गाय नहीं थी। द्रुपद-नरेश उनके सहपाठी थे। वे, उनसे गाय मांगने गये लेकिन अपमानित होकर लौटे। तब द्रोण ने अपने शिष्य अर्जुन के द्वारा द्रुपद को बंदी बनाकर बदला ले लिया।

मध्यप्रदेश के बाल-गोपाल द्वापर कालीन अश्वत्थामा से कहीं अधिक भाग्यशाली हैं क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान में एक ऐसा मामा मिला है जो सुदूर अंचलों में बसे ग्रामों के बच्चों के लिये भी दूध का प्रबंध करता है। जुलाई 2015 से प्रदेश की प्राथमिक शालाओं और आंगनवाड़ियों के बच्चों को सप्ताह में तीन दिन पाउडर मिल्क पांच फ्लेवरों में मिलता है- गुलाब, इलायची, स्ट्राबैरी और अनानास। गत ग्यारह सालों के सुशासन की सबसे बड़ी उपलब्धि है मध्यप्रदेश को पिछड़ेपन से उबारकर उन्नत प्रदेशों की कतार में ला खड़ा करना। इसके लिये मुख्यमंत्री का फार्मूला है विकेन्द्रीकृत प्रशासन को ग्राम स्तर पर सुशासन में बदलना। चूंकि मध्यप्रदेश ग्राम प्रधान और कृषि प्रधान है। अतः मुख्यमंत्री ने इन दोनों मूल तत्वों को पकड़ा। गांव का विकास हो। पिछड़ों और वंचितों का विकास हो। कृषि का विकास हो। उद्योग, कृषि को और कृषि, उद्योग को संबल दें। आयुर्वेद कहता है :

यद्देशस्य यो जन्तुः तद्देशस्य तस्योषधम्

स्थान और वहां के निवासियों के अनुसार रोग की औषधि होना चाहिये। इस संदर्भ में प्रशासन का मॉडल देने में शिवराज जनता के नाड़ी वैद्य हैं। लोकतंत्र में लोक और तंत्र दोनों पर शीर्ष प्रशासक की पकड़ होना चाहिये। यह गुण शिवराज में है। वे, लोक की दशा जानते हैं और तंत्र को दिशा देते हैं। मध्यप्रदेश को कुपोषण मुक्त करने के लिये बच्चों को दूध सहित पौष्टिक आहार सुनिश्चित किया जाये। प्रदेश के लगभग 54 हजार गांवों और 92 हजार से अधिक आंगनवाड़ियों में 453 समेकित बाल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से यही सब तो किया जा रहा है।

गांधी जी ने ग्राम विकास की अवधारणा अपनी कृति 'हिन्द स्वराज' में समझाई थी। उसमें उन्होंने आजादी के बाद स्वराज आने पर 'भारत माता ग्रामवासिनी' की उन्नति की बात की थी। लोकमान्य तिलक ने अपने 'गीता रहस्य' में स्वराज आंदोलन के पीछे की तात्विक भूमिका स्पष्ट की थी। समाज के अंतिम छोर पर खड़े अति पिछड़े व्यक्ति के विकास को गांधी जी ने 'अन्त्योदय' कहा और महामनीषी पं. दीनदयाल उपाध्याय ने 'एकात्म मानववाद।' शिवराज ने इन दोनों अवधारणाओं को आत्मसात करके अपने प्रशासन का एक ऐसा सर्वथा नया मॉडल रचा जो आज राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक होने के कारण बहुचर्चित है।

प्रदेश में लगभग सवा लाख स्कूल हैं। इनमें से एक-तिहाई से अधिक स्कूलों में गैस कनेक्शन देकर स्व-सहायता समूहों के जरिये बच्चों को मध्यान्ह भोजन सुनिश्चित करने की व्यवस्था कर ली गई है। यह कुपोषण के विरुद्ध एक सर्जिकल स्ट्राइक ही तो है। सर्जिकल स्ट्राइक में एक शत्रु स्थल चिन्हित करके उस पर प्रहार करते हैं। शिवराज ने लोक स्वास्थ्य के शत्रु कुपोषण को चिन्हित करके उसे मिटाने का संकल्प लिया है। याद रहे कि ग्यारह साल पहले ऐसी कोई योजनायें नहीं थीं। अतः पोषण कार्यक्रमों के अभाव में मध्यप्रदेश दीर्घकाल तक कुपोषण पीड़ित रहा।

दीनदयाल अन्त्योदय योजना के तहत ग्रामीण आजीविका मिशन गरीबी दूर करने का सुनियोजित अभियान है। इसके द्वारा लगभग तेरह लाख ग्रामीण परिवारों को आजीविका यानी रोजगार गतिविधि से जोड़ा गया है। हर हाथ को उत्पादक काम देना ही हर पेट को रोटी देना है। गांवों में एक लाख से ज्यादा स्व-सहायता समूहों को 1237 करोड़ यानी 123 अरब से अधिक का ऋण दिलवाया गया है। कोई डेढ़ लाख गरीब परिवारों को लगभग 45 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई है जिससे उनकी कमाऊ क्षमता बढ़ी है। औसतन प्रतिवर्ष सवा लाख से अधिक परिवारों की सालाना आमदनी एक लाख रुपये का आंकड़ा पार कर रही है। गरीबी दूर करने की दिशा में यह निर्णायक कदम है। ग्रामोदय की सभी योजनाओं में पंचायतों की बुनियादी भूमिका है। गांवों के सर्वतोन्मुखी विकास में पैसे का अभाव न हो इसलिये उनके खातों में गत वर्ष और इस वर्ष को मिलाकर 2477 करोड़ की रकम जमा की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त राज्य की विभिन्न मदों से गत आठ सालों में पंचायतों को लगभग छह हजार लाख की धनराशि दी जा चुकी है। अधिकांश पंचायतों के पास भवन, कम्प्यूटर आदि सहित स्वयं की मूलाधार संरचना है। इसका विस्तार किया जा रहा है। अधिकतर ग्राम पंचायतें सर्वसुविधायुक्त हैं। लगभग 3100 ग्राम पंचायतों, सात हजार ग्रामों और 59 लाख परिवारों को शौचालय सुविधा उपलब्ध है। दो अक्टूबर 2019 तक सभी गांवों को 'खुले में शौच से मुक्त' कर दिया जायेगा।

गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम बहुत जरूरी है क्योंकि इससे विकास के अवसर बढ़ते हैं। आर्थिक गतिविधि बढ़ने से गरीबी दूर होती है। गांव से नगर की ओर प्रवास रुकता है। व्यवहारतः स्मार्ट सिटी बनाने के पहले स्मार्ट ग्राम बनाना जरूरी है। उसके लिये कनेक्टिविटी चाहिये। यह काम मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निरंतर किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों को पारंपरिक हाट-बाजारों से जोड़ा गया है। लगभग 1200

ग्रामीण हाट-बाजारों के कार्य मंजूर किये गये हैं। दूर दराज के आदिवासी बहुल गांवों को बारामासी आवागमन की सुविधा गत छह सालों से शुरू की गई है। इसके तहत आदिवासी क्षेत्र के ऐसे ग्राम प्राथमिकता के आधार पर लिये गये हैं जिनकी आबादी 250 से कम है। कुल मिलाकर इन सभी सड़कों की लंबाई इतनी अधिक है कि उन्हें आंकड़ों में बयान कराना दुष्कर अभ्यास है। ब्राडबेन्ड कनैक्टिविटी भी दी गई है। नल, जल, सड़क-बत्ती विद्युत कनेक्शनों पर गत आठ सालों में 35224 लाख की धनराशि व्यय की गई।

मध्यप्रदेश ने कृषि के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व और अद्वितीय प्रगति की है, वह तो जगजाहिर है। आज हम पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राज्यों से प्रतिद्वन्द्विता करके लगातार तीन सालों से कृषि कर्मण अवार्ड जीत रहे हैं। खाद्यान्न उत्पादन में 25 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसमें सिंचाई प्रसार का बड़ा योगदान है। 18527 जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण करके वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में 95844 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र का इजाफा हुआ है। लगभग 29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लिये 499 योजनायें स्वीकृत हैं जो अमल में लाई जा रही हैं। मध्यप्रदेश में राजस्थान के बाद सर्वाधिक पड़त भूमि है। लगभग 18 हजार हेक्टेयर पड़त भूमि का विकास करके उसमें खेती, उद्यानिकी और वानिकी कार्य किये गये हैं।

निष्कर्षतः माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान के ग्यारह वर्षों की विकास यात्रा का जायजा लेने पर कालिदास द्वारा रघुवंश में महाराज दलीप के प्रजापालक मॉडल का संदर्भ याद आता है। महाकवि कालिदास लिखते हैं कि प्रजा के रक्षक भरण-पोषण की व्यवस्था के कारण शासक को उसका व्यवहारतः पिता निरूपित किया जाता है क्योंकि जैविक पिता तो केवल जन्मदाता ही होता है :

प्रजानां विनयाधानाद् रक्षणात् भरणादपि।
सपिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः।।

जिस भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है उसकी व्याख्या भी यही है कि 'भरणात् रक्षणात् च' अर्थात भरण और रक्षण के कारण ही वह भरत कहलाया। लोक कल्याणकारी प्रजातंत्र के संदर्भ में शिवराज इस कसौटी पर खरे उतरते हैं।

● **घनश्याम सक्सेना**
(लेखक वरिष्ठ स्तम्भकार हैं)

भारत विकास की ओर बढ़ रहा है, विकास का ताना-बाना बुनने के साथ इस समय देश में अनेक योजनाएँ चल रही हैं। मध्यप्रदेश में योजनाओं के क्रियान्वयन और मॉनीटरिंग को लेकर विशेष प्रयास किए गए। कुछ नवाचार भी हुए जिन्हें भारत सरकार ने सराहा। यह सराहना आयोजनाओं का बेहतर उपयोग और सफल क्रियान्वयन का परिणाम है। मध्यप्रदेश ने किसी योजना को उसके उद्देश्य तक ले जाने का कार्य कर अपने आपमें मिसाल कायम की है। प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सौ दिन के रोजगार की सुनिश्चितता के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से बेहतर मॉनीटरिंग के लिए एक अप्रैल 2013 से इलेक्ट्रानिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम (ई.एफ.एम.एस.) लागू किया गया। इस व्यवस्था में मांग के अनुसार समय पर रोजगार भी मिलता है और मजदूरी का त्वरित भुगतान भी होता है। मनरेगा के साथ आयोजनाओं का ऐसा ताना-बाना बुना गया कि इसके परिणामों में गाँव का किसान, हर वर्ग जुड़ा और खेत-खलिहान समृद्ध हुए। मेरा खेत मेरी माटी और मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना से सकारात्मक स्पर्धा का माहौल बना। खेत में तालाब, मेढ़ बंधान, जल निकासी नालियों के रख-रखाव, भूमि को खेती योग्य बनाने की ठोस रणनीति के परिणाम दिखाई देने लगे।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से छूटे क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए मजरे, टोले और खेत को सुदूर ग्राम संपर्क एवं खेत सड़क उपयोजना से बारहमासी सड़क से जोड़ा गया। गांव में अनाज के भण्डार की व्यवस्था के लिए मनरेगा कन्वर्जेंस से न सिर्फ गोदाम बनाए गए बल्कि आधुनिक एवं वैज्ञानिक खाद्य अनाज भण्डारण सुविधा का निर्माण किया गया। कन्वर्जन के तहत स्वच्छता, साफ-सफाई, जल संग्रहण और आवश्यक भवनों का निर्माण, आंतरिक पथ निर्माण ई-पंचायत कक्ष का निर्माण, समेकित माइक्रो प्रोजेक्ट योजना में गाँव के समूह का सर्वांगीण विकास और स्थाई आजीविका के लिए माइक्रो प्रोजेक्ट अवधारणा लागू की गई। मध्यप्रदेश में मनरेगा तथा अन्य योजनाओं के कन्वर्जेंस से स्थाई परिसंपत्तियों के निर्माण और आजीविका के स्त्रोत तैयार करने के लिए प्रदेश को 2 फरवरी 2016 को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया। मध्यप्रदेश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सराहा भी गया और दायित्व भी सौंपा गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश को देश में सर्वाधिक 73,306 किलोमीटर मार्गों के लिए 21,854 करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी। उत्कृष्ट कार्यों और नवाचारों की श्रृंखला में मध्यप्रदेश को भारत सरकार ने मध्यप्रदेश दीनदयाल अंत्योदय योजना-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किए गए नवाचारों में बैंक सखी, समुदाय आधारित सूक्ष्म बीमा संस्थान, समुदाय प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन के लिए सराहा गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सुशासन पर बल दिया है। इसी के तहत पंचायत राज संचालनालय द्वारा पंचायत दर्पण वेबपोर्टल विकसित कर त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को ऑनलाइन जोड़ा गया। प्रदेश के इस अभिनव प्रयास ने भारत सरकार से सराहना प्राप्त करने के साथ अन्य राज्यों में भी इसे लागू किया गया।

योजनाओं का स
भारत स

मनरेगा के क्रियान्वयन को बेहतर बनाने, मजदूरी भुगतान समय सीमा में सुनिश्चित कराने तथा सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से मनरेगा क्रियान्वयन की बेहतर मॉनीटरिंग के लिये मध्यप्रदेश में इलेक्ट्रोनिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। मध्यप्रदेश द्वारा की गई इस पहल का अन्य राज्यों द्वारा भी अनुकरण किया है। मध्यप्रदेश में 1 अप्रैल 2014 से यह प्रणाली लागू की गयी जिसके तहत काम करने वाले मजदूरों की इंट्री ऑनलाइन मनरेगा पोर्टल पर की जाती है तथा ई-मस्टर रोल निकाला जाता है। एक सप्ताह के पश्चात इस ई-मस्टर की मूल्यांकन उपरांत पोर्टल में इंट्री की जाती है तथा मजदूरी के फण्ड ट्रांसफर आर्डर (एफटीओ) जारी करके मजदूरों के खातों में राशि ई-ट्रांसफर की जाती है। यह सारी प्रक्रिया मनरेगा के पोर्टल पर प्रदर्शित होती है जिससे समय सीमा में मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित होता है तथा क्रियान्वयन की मानीटरिंग करना आसान होता है।

सफल अमल

सरकार ने सराहा

एक ही खाते से राशि का भुगतान

मध्यप्रदेश में मनरेगा का प्रदेश स्तर पर एक ही अकाउण्ट संधारित किया जाता है। इस अकाउण्ट से ही पूरे प्रदेश में मजदूरी तथा सामग्री का भुगतान किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2015 से लागू की गयी है।

मनरेगा का अन्य योजनाओं से अभिसरण (कन्वर्जेंस)

मध्यप्रदेश में मनरेगा तथा अन्य योजनाओं के कन्वर्जेंस से विभिन्न स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ है। स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के मामले में प्रदेश का देश में पहला स्थान है। जहां लगभग 70 फीसदी से अधिक स्थायी परिसंपत्तियां सृजित हुई हैं। प्रदेश में योजना प्रारंभ से 23 लाख 45 हजार 489 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, जिनमें से 4,13,197 कार्य मनरेगा तथा अन्य योजनाओं के अभिसरण से पूर्ण किये गये हैं।

मध्यप्रदेश में मनरेगा तथा अन्य योजनाओं के कन्वर्जेंस से सृजित परिसंपत्तियों से लोगों की आजीविका के स्त्रोत तैयार होने से 2 फरवरी 2016 में राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश को पुरस्कृत किया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश द्वारा 73,306 किलोमीटर मार्गों के लिये रुपये 21,854 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त की गई है जो कि देश में सर्वाधिक है। इन स्वीकृतियों में एडीबी के सहायता से भी मार्गों की स्वीकृति प्राप्त की गई है तथा एडीबी द्वारा मार्गों के निर्माण एवं गुणवत्ता हेतु प्रदेश को "रूरल रोड प्रोजेक्ट" (एडीबी) पुरस्कृत किया गया है तथा सराहना प्रदान की गई। योजना के तहत निर्मित मार्गों के संधारण हेतु राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर "सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार 2016" दिया गया है तथा देश स्तर पर प्रदेश की संधारण नीति की सराहना की गई है।

म.प्र. दीनदयाल अंत्योदय योजना-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत निम्न तीन नवाचारों को भारत सरकार द्वारा सराहा गया है

बैंक सखी

बैंक सखी वह महिला होती है, जो कि स्व-सहायता समूह सदस्यों को बैंक के विभिन्न कार्यों में सहयोग तथा वित्तीय समावेशन से जुड़ी अन्य सुविधाओं का लाभ उनके घर तक पहुंचाती है। 25 जिलों में 175 बैंक सखी वर्तमान में कार्यरत हैं।

समुदाय आधारित सूक्ष्म बीमा संस्थान (CBMII)

जिला शिवपुरी और जिला पन्ना में महिला समूह के सदस्यों द्वारा उनके या उनके परिवार के सदस्यों की आकस्मिक दुर्घटना और मृत्यु के कारण होने वाले नुकसान में सहायता करने के लिये (CBMII) स्थापित किया गया है जिसमें प्रति सदस्य रुपये 300/- का प्रीमियम का प्रावधान किया गया है।

जिला शिवपुरी में 4.50 लाख तक का बीमा किया जाता है।

देश में अव्वल योजनाएँ

स्वच्छ भारत मिशन

पूरे भारत में मध्यप्रदेश पहला राज्य है, जो सीधे हितग्राही के खाते में शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि एफ.टी.ओ. के माध्यम से हस्तांतरित कर रहा है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना

मध्यप्रदेश में मनरेगा तथा अन्य योजनाओं के कन्वर्जेंस से विभिन्न स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ है। स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के मामले में प्रदेश का देश में पहला स्थान है। जहां लगभग 70 फीसदी से अधिक स्थायी परिसंपत्तियां सृजित हुई हैं। प्रदेश में योजना प्रारंभ से 23 लाख 45 हजार 489 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, जिनमें से 4,13,197 कार्य मनरेगा तथा अन्य योजनाओं के अभिसरण से पूर्ण किये गये हैं।

मध्यप्रदेश में मनरेगा तथा अन्य योजनाओं के कन्वर्जेंस से सृजित परिसंपत्तियों से लोगों की आजीविका के स्त्रोत तैयार होने से 2 फरवरी 2016 में राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश को पुरस्कृत किया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश की स्वीकृति एवं उपलब्धि का अन्य राज्यों से तुलनात्मक विवरण - उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश देश में स्वीकृति प्राप्त करने तथा सर्वाधिक लंबाई को पूर्ण करते हुए सर्वाधिक व्यय करने वाला राज्य है। अद्यतन स्थिति में मध्यप्रदेश देश में योजना के क्रियान्वयन में अव्वल है।

क्र.	राज्य का नाम	स्वीकृत लंबाई (कि.मी.)	स्वीकृत राशि (करोड़ में)	पूर्ण की गई लंबाई (कि.मी)	किया गया व्यय (करोड़ में)
1	मध्यप्रदेश	74,915	22,871	63,212	17,432
2	महाराष्ट्र	24,420	6,699	23,001	6,289
3	गुजरात	11,540	2,856	11,301	2,893
4	छत्तीसगढ़	30,760	9,186	26,586	76,71
5	उत्तरप्रदेश	50,074	13,544	48,405	12,510
6	राजस्थान	66,803	13,786	58,907	10,670
7	बिहार	34,554	19,310	25,924	14,218

समुदाय प्रशिक्षण केन्द्र

स्व-सहायता समूहों में शामिल महिलाओं, उनके संगठनों, संगठनों के लिये कार्य में सहयोग करने वाले ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं को दक्ष बनाया जाए। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 8 जिलों में समुदाय संगठनों के माध्यम से "समुदाय प्रशिक्षण केन्द्रों" के संचालन का प्रयोग शुरू किया गया है।

पंचायतराज संचालनालय

पंचायत राज संचालनालय द्वारा प्रदेश की पंचायतों में समवर्ती लेखा प्रणाली की शुरुआत कर नवाचार प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत योजनाओं की बेहतर मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन के लिये 'पंचायत दर्पण' ऑनलाइन वेबपोर्टल www.mppanchayatdarpan.gov.in विकसित कर जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन जोड़ा गया है। पंचायत दर्पण में विभाग की समस्त गतिविधियों एवं योजनाओं में स्वीकृत कार्यों की प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए खाते में स्वीकृत कार्यों की प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित किया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक खाता व्यवस्था स्थापित की गई है। नगद तथा चैक से भुगतान प्रतिबंधित किया जाकर समस्त भुगतान पोर्टल से जनरेट होने वाले ई-भुगतान आदेश (EPO) के द्वारा खाते से खाते में राशि हस्तांतरित कर किये जा रहे हैं।

● **प्रस्तुति : रीमा राय**

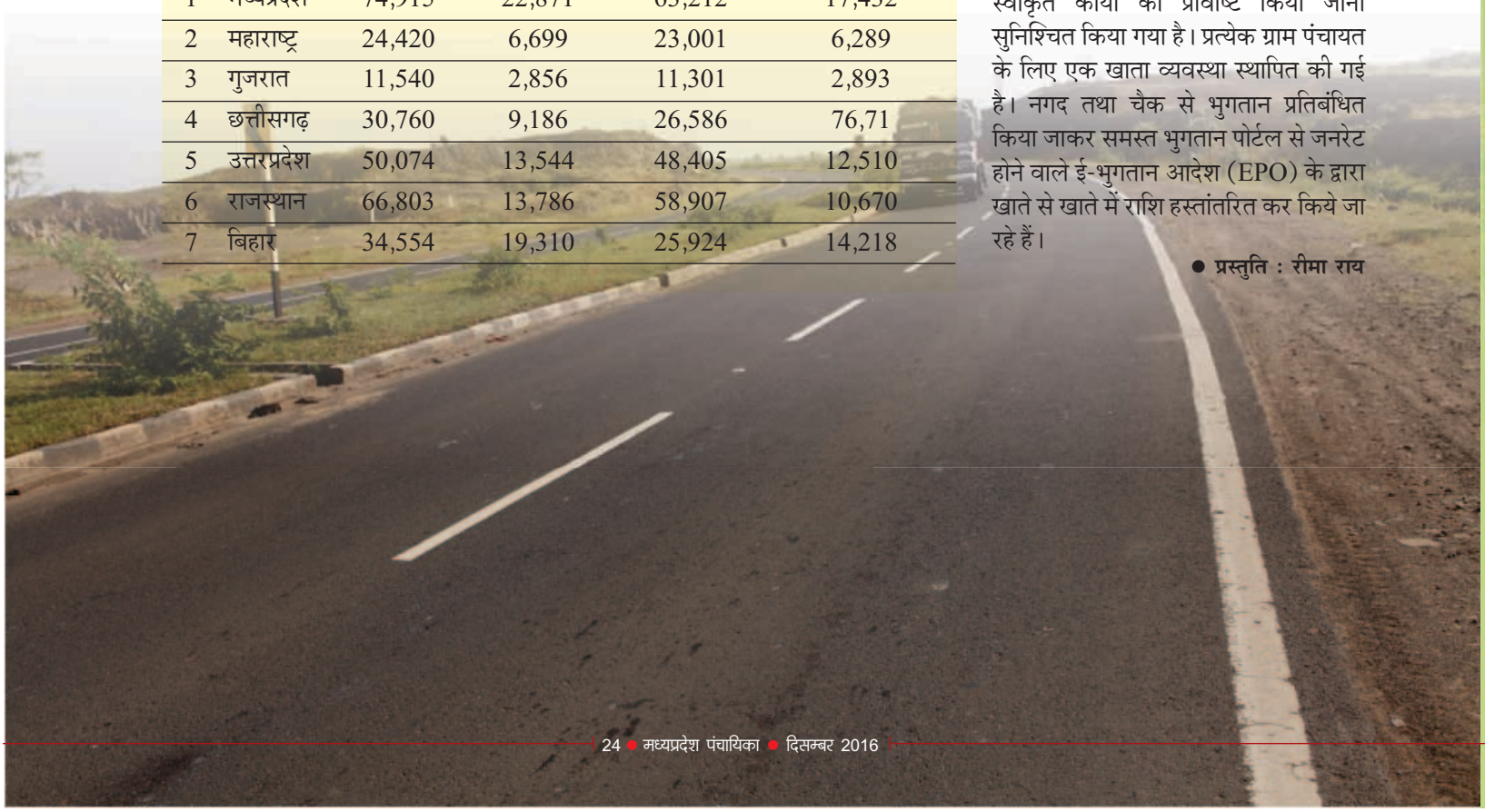

समृद्ध पंचायतों से विकसित होते गाँव

मध्यप्रदेश में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में ग्रामीण विकास की रूपरेखा तय की जाती हैं। योजनाएँ बनायी जाती है। इन योजनाओं को मैदानी स्तर पर क्रियान्वित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत अधोसंरचनात्मक विकास की जिम्मेदारी पंचायतराज संचालनालय पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में विभागीय योजनाओं के अमल के लिए संचालनालय द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतें जिला, जनपद और ग्राम पंचायत कार्य करती हैं। पंचायतराज संचालनालय का दायित्व प्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत व्यवस्था को स्थापित करना, त्रि-स्तरीय पंचायतों को मार्गदर्शन प्रदान करना, पंचायत स्तर पर चल रही विकास योजनाओं को मूर्तरूप देना, ग्रामीण विकास में जनभागीदारी को सुदृढ़ करना, पंचायतों को वित्त एवं संसाधन उपलब्ध कराना और पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करना है।

महिला सरपंच की पहल

सफलता की साख दिल्ली तक

पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मध्यप्रदेश में सबसे पहले वर्ष 2007 में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पंचायतों में महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वावलम्बन की दिशा में उठाए गये कदमों का परिणाम है कि इन्दौर जिले के कोदरिया ग्राम की सरपंच ने दिल्ली में अपनी पंचायत का नेतृत्व किया। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के प्रयासों से सशक्त हुई सरपंच श्रीमती अनुराधा जोशी ने केन्द्र के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 30 नवम्बर से 2 दिसम्बर तक आयोजित राष्ट्रीय सरपंच सम्मेलन सह प्रशिक्षण में इन्दौर जिले का प्रतिनिधित्व किया। उल्लेखनीय है कि सरपंच अनुराधा एकमात्र महिला हैं जिन्होंने सम्मेलन के सत्र को भी संबोधित किया।

कोदरिया सरपंच को केन्द्र के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कुपोषण से मुक्ति और स्व-कराधान आदि में किये गये नवाचारों और दायित्व के शत-प्रतिशत संचालन के आधार पर आमंत्रित किया गया। सरपंच श्रीमती अनुराधा जोशी का यह सफर अप्रैल 2015 से सरपंच का दायित्व ग्रहण करने के साथ शुरू हुआ। विकास योजनाओं के बेहतर संचालन, सरपंच के जज्बे और ग्रामीण सहयोग से आज कोदरिया ग्राम पंचायत ने अपनी एक अलग पहचान बना ली है। आज कोदरिया स्वच्छ, समृद्ध और जागरूक गांव के रूप में जाना जाता है। कार्यों के सफल क्रियान्वयन को लेकर बात करने पर सरपंच श्रीमती अनुराधा जोशी ने बताया कि कोदरिया प्रदेश की पहली आई.एस.ओ. पंचायत है। पंचायत के सशक्तिकरण के लिए हमने वर्ष 2015 में स्व-कराधान योजना से 22 लाख रुपये अर्जित किए। वर्ष 2016-17 में अब तक 20 लाख से अधिक कराधान अर्जित कर चुके हैं। हमने जन भागीदारी से सड़क, नाली बनाई, ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया। हमारे यहाँ चार आंगनवाड़ी भवन हैं। हमारी पंचायत ने पूर्णतः शौचालय युक्त होने के साथ स्वच्छता के लिए जिले की प्रथम डी.पी.आर. बनाकर शासन को प्रस्तुत की है ताकि पंचायत में कचरा प्रबंधन की शत-प्रतिशत व्यवस्था हो सके। गांव की महिलाओं के साथ मिलकर हमने शराब बंदी कर गांव को नशे से मुक्त करवाया है। कुपोषण के लिए हमने सर्वे कर गांव गोद लिए और गुड़, चना व अन्य पोषक पदार्थ वितरित कर कुपोषण के लिए व्यवहारिक कदम उठाए हैं। यहां गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। हमारे यहाँ शत-प्रतिशत बच्चे स्कूल जाते हैं। बच्चे मध्यान्ह भोजन मजे से डाइनिंग टेबल पर बैठकर करते हैं। गाँव स्ट्रीट लाइट से रोशन है। पंचायत की पहल से हर घर में नर्मदा का पानी पहुँच चुका है। ई-पंचायत से हम लोग अभ्यस्त हो चुके हैं। सारी व्यवस्था ऑनलाइन है। जन धन योजना में हर घर का बैंक खाता खुल चुका है। कोदरिया सरपंच की विकास गाथा को देख लगता है कि प्रदेश की यह पंचायत मुख्यमंत्री जी के हरेक को रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था, पढ़ाई, लिखाई और कमाई का बेहतर इंतजाम और कुपोषण से मुक्ति के लिए संकल्प को आकार दे रही है। यही वजह है कि कोदरिया पंचायत की सरपंच देश की राजधानी दिल्ली में विकास का पक्ष रखने का माद्दा रखती हैं।

● **प्रस्तुति : रुचि बागड़देव**

स्वतंत्र पंचायत राज संचालनालय का गठन दिनांक 6.12.2007 को किया गया।

महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में मध्यप्रदेश राज्य देश में प्रथम राज्य है, जहां 25 मई 2007 से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं में सभी स्थानों में आधे स्थानों (50 प्रतिशत) का आरक्षण महिलाओं के लिए किया गया है। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा घोषित पंचायती राज अधिकारिता एवं जवाबदेही पहल योजना 2008-09 के तहत् बेहतरीन काम काज के लिए पहला पुरस्कार मध्यप्रदेश को रुपये 1.50 करोड़ का दिया गया। वर्ष 2015 में (Panchayat Exlention in Scheduled Areas) में पेसा प्रावधान 1996 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

पंच परमेश्वर योजना

वित्तीय वर्ष 2011-12 में पंचायत राज संचालनालय द्वारा ग्राम पंचायतों को दी जाने वाली विभिन्न मदों जैसे 13वां वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, अनुरक्षण हेतु अनुदान, स्टॉम्प शुल्क, गौण खनिज अनुदान एवं पंचायत भवन निर्माण मदों में प्राप्त होने वाली राशि को एकीकृत कर सरपंच परमेश्वर योजना प्रारंभ की गई है। योजना प्रारंभ से वर्तमान तक ग्राम पंचायतों को कुल रुपये 7585.87 करोड़ की राशि प्रदाय की गई, जिसके विरुद्ध ग्राम पंचायतों ने लगभग 13000 कि.मी. सी.सी. रोड पूर्ण की है।

14वां वित्त आयोग

14वां वित्त आयोग अंतर्गत वर्ष 2015-16 में राशि रु. 1463.61 करोड़ एवं वर्ष 2016-17 में राशि रु. 1013.31 करोड़ ग्राम पंचायतों को सीधे उनके एकल खाते में प्रदान की जा चुकी है। इस राशि के उपयोग हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत की विकास योजना वर्ष 2015-20 (GPDP) तैयार कर उसी अनुसार प्राथमिकता क्रम में विकास कार्य संपन्न किये जा रहे हैं।

बीआरजीएफ

योजना वर्ष 2006-07 से प्रारम्भ की गई योजनान्तर्गत वर्ष 2104-15 तक कुल

पंचायतराज : जमीन और आसमान का अंतर है तस्वीर में

क्र.	कार्य	पूर्व स्थिति वर्ष 2004	वर्तमान स्थिति वर्ष 2016
1	ग्रामीण आंतरिक सी.सी. सड़क सह नाली निर्माण	निरंक	13000 कि.मी. लंबाई की ग्रामीण आंतरिक सी.सी. सड़क सह नाली निर्माण पूर्ण
2	ग्राम पंचायत स्तर पर कंप्यूटर हार्डवेयर का प्रदाय	निरंक	समस्त 22824 ग्राम पंचायतों को एक कम्प्यूटर सेट, प्रिंटर, एल.सी.डी., स्केनर, वेब केमरा एवं यू.पी.एस. प्रदाय
3	बीआरजीएफ	निरंक	113843 कार्य राशि रु. 2977.42 करोड़ के स्वीकृत एवं 107105 कार्य पूर्ण
4	मुख्यमंत्री ग्रामीण हाट बाजार	निरंक	1119 के कार्य रु. 277.76 करोड़ स्वीकृत
5	पंचायत भवन निर्माण (जिला/जनपद/ग्राम पंचायत भवन)	वर्ष 2008 से	7291 भवन
6	खेलकूद मैदान एवं सामुदायिक भवन	वर्ष 2008 से	208 खेल मैदान राशि रु. 166.40 करोड़ एवं 1000 सामुदायिक भवन रु. 100.00 करोड़ के स्वीकृत कर प्रगतिरत।

113843 कार्य राशि रुपये 2977.42 करोड़ के स्वीकृत 107105 कार्य पूर्ण एवं 6738 कार्य प्रगतिरत हैं। योजना अप्रैल 2015 से भारत शासन द्वारा डिलिंक कर दी गई है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण हाट निर्माण

प्रदेश के ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पारंपरिक साप्ताहिक हाट बाजार लगते हैं ऐसी ग्राम पंचायतों में कुल 1119 ग्रामीण हाट बाजार के कार्य रुपये 77.76 करोड़ के स्वीकृत किये गये हैं जिसमें 197 कार्य पूर्ण एवं 922 कार्य प्रगतिरत हैं।

पंचायत भवन निर्माण (जिला/जनपद/ग्राम पंचायत हेतु भवन)

भवन विहीन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण हेतु वर्ष 2009-10 से वर्ष 2015-16 तक कुल 6960 भवनों हेतु राशि रुपये 859.46 करोड़ विभागीय मदों के साथ मनरेगा से अभिसरण कर राशि स्वीकृत। वर्तमान में 2924 भवन पूर्ण एवं 4036 भवन प्रगतिरत हैं।

सीसी रोड बनने से
पंचायत भवन पहुंचना हुआ आसान

जनपद पंचायत शहपुरा की ग्राम पंचायत सिहोदा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना एवं पंच-परमेश्वर योजना के अभिसरण मद से वार्ड क्रमांक 4 में बनाई गई। सीमेंट कांक्रीट से वार्डवासियों का ग्राम पंचायत भवन, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का आना-जाना आसान हो गया है। वार्ड में सी.सी. रोड बनने से हमेशा कीचड़ और गंदगी से फैलने वाली मलेरिया व अन्य होने वाली अनेक प्रकार की बीमारियां कम हो गई हैं। 02 लाख 88 हजार की लागत से 94 मीटर लम्बाई की बनाई गई सी.सी. रोड से वार्ड में खुशी की लहर दौड़ गई है।

सरपंच मीराबाई बताती है कि मनरेगा व पंच-परमेश्वर योजना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। मनरेगा से मजदूरों को गांव में ही काम उपलब्ध कराया जाता है तो पंच परमेश्वर योजना की राशि से सीमेंट, रेत एवं गिट्टी इत्यादि सामग्री से गांव के वार्ड क्रमांक 4 में सी.सी. रोड व नालियां बनाई गई हैं। सी.सी. रोड व नालियों से एक तो गांव साफ-सुथरा हो गया है वहीं बरसात के समय गांव में आने-जाने में जो कीचड़ की वजह से परेशानी होती थी उससे भी मुक्ति मिल गई है।

वार्ड क्रमांक 4 की सुमनबाई बताती हैं कि वार्ड में गंदगी होने की वजह से लोग इस ओर आने में कन्नी काटते थे, रास्ते में कीचड़ होने से बच्चों को स्कूल एवं मुझे पंचायत भवन पहुंचने में परेशानी होती थी, लेकिन अब सी.सी. रोड बन जाने से समस्या का निराकरण हो गया है।

यहां के रहवासियों ने बताया कि बरसात के समय गांव के वार्ड क्रमांक 4 में जाने-आने में कीचड़ की वजह से परेशानी होती थी। मनरेगा व पंच-परमेश्वर योजना के अभिसरण से जुलाई 2015 को 2.88 लाख की लागत से 94 मीटर लंबी वीरेन्द्र कुमार चढार के मकान से शरद पटेल के मकान तक सीमेंट कांक्रीट स्वीकृत की गई थी जो अगस्त माह में पूर्ण हुई। इस कार्य में गांव के जॉबकार्डधारी परिवारों को गांव में ही काम उपलब्ध कराया गया है। उल्लेखनीय है कि एक ओर मनरेगा से ग्रामीणों को गांव में रोजगार उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की जा रही है वहीं पंच-परमेश्वर योजना से गांव की छोटी-छोटी गलियों में जहां कोई आना-जाना नहीं चाहता था वहां आसानी से पहुंचा जा रहा है, और गलियों में सी.सी. रोड बन जाने से धूल एवं कीचड़ से हमेशा-हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई है।

08 जिला पंचायतों को नवीन पंचायत भवन एवं 02 जिला पंचायतों में भवन विस्तार निर्माण हेतु रुपये 15.00 करोड़ तथा 313 जनपद पंचायतों में भवन विस्तार हेतु रुपये 31.30 करोड़ तथा 155 ब्लाक रिसोर्स सेंटर निर्माण हेतु 19.72 करोड़ की राशि प्रदाय।

ई-पंचायत कक्ष निर्माण/कनेक्टिविटी

4359 ग्राम पंचायतों में ई-कनेक्टीविटी एवं कम्प्यूटर व्यवस्था हेतु ई-पंचायत कक्ष रुपये 20659.92 लाख की राशि के स्वीकृत। 1734 कक्ष पूर्ण शेष प्रगतिरत।

23000 ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर सेट, प्रिंटर, एल.सी.डी., स्केनर, वेब केमरा एवं यू.पी.एस. प्रदाय करने हेतु प्रति ग्राम पंचायत को रुपये 1.00 लाख के मान से कुल 23000 लाख की राशि प्रदाय की गई।

ब्राडबैंड कनेक्टिविटी

ग्राम पंचायतों में ब्राडबैंड कनेक्टिविटी हेतु BSNL, Railtel एवं भारत सरकार के Nofn प्रोजेक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाही -

बीएसएनएल-1822 (समिति, इससे अधिक उपलब्धता बीएसएनएल नहीं करा पाएं)। रेलटेल-1517 में से अभी तक 986 पूर्ण।

बीबीएनएल/नोफन (भारत सरकार का प्रोजेक्ट)- प्रथम चरण में 140 जनपदों के 10520 ग्राम पंचायतों में कनेक्टिविटी का कार्य प्रगतिरत है। अभी तक कुल 52 ग्राम पंचायतों में कलेक्शन उपलब्ध कराए गए।

पंचायतों को विभिन्न मदों मे प्रदाय राशि

12वां एवं 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2014-15 तक राशि रुपये 454153.17 लाख जारी किये गये तथा 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में राशि रुपये 146361.00 लाख जारी किये गये हैं।

ग्राम पंचायतों के नल-जल एवं सड़क बत्ती विद्युत कनेक्शन की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2015-16 तक राशि रुपये 35224.00 लाख जारी किये गये हैं।

त्रिस्तरीय पुरस्कार अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2015-16 तक राशि रुपये 2422.98 लाख जारी।

गौण खनिज मद में वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2015-16 तक राशि रुपये 187652.04 लाख जारी।

पंचायतों को विभिन्न मदों में प्रदाय राशि

स्टाम्प शुल्क मद में वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2015-16 तक राशि रुपये 187157.19 लाख जारी।

अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक राशि रुपये 17824.99 लाख जारी। राज्य वित्त आयोग अंतर्गत मूलभूत कार्यों हेतु में वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2015-16 तक राशि रुपये 469776.49 लाख जारी।

● **प्रस्तुति : अभिषेक सिंह**

मनरेगा में नई पहल नई करवट

अब तक की उपलब्धियाँ

सक्रिय जॉबकार्डधारी परिवार (लाख में)	44.33
कुल सृजित मानव दिवस (करोड़ में)	197.17
अनुसूचित जाति मानव दिवस (करोड़ में)	35.43
अनुसूचित जनजाति मानव दिवस (करोड़ में)	79.67
महिला मानव दिवस (करोड़ में)	85.16
पूर्ण कार्यों की संख्या (लाख में)	23.45

मध्यप्रदेश को मनरेगा के बेहतर क्रियान्वयन और उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा सराहा भी गया और पुरस्कृत भी किया गया। यह सम्मान मनरेगा और अन्य योजनाओं के कन्वर्जेन्स से ग्रामीण अंचलों में आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाने और स्थाई परिसम्पत्तियों के निर्माण में सर्वश्रेष्ठ कार्यों के लिये मिला। मध्यप्रदेश आजीविका उपलब्ध कराने में देश में आगे है। मनरेगा कन्वर्जेंस से प्रदेश के गाँवों में स्थाई परिसम्पत्तियों का सर्वाधिक निर्माण किया गया वो भी उत्कृष्टता के साथ। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से मनरेगा क्रियान्वयन की बेहतर मॉनीटरिंग के लिए इलेक्ट्रानिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया जिसे देश ने सराहा और अन्य राज्यों ने आत्मसात किया। मध्यप्रदेश में मनरेगा के तहत जो परिणाम दिखाई दे रहे हैं वह इसलिए संभव हुए क्योंकि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कन्वर्जेंस के प्रभावी कदम उठाए हैं। प्रदेश के गाँवों की आवश्यकता और क्षमता के अनुरूप इसमें उपयोजनाओं को जोड़ा। मनरेगा के तहत दिये जाने वाले सौ दिवस के रोजगार के साथ कार्यों का ऐसा तालमेल बैठाया कि प्रदेश के गाँव स्थाई परिसंपत्तियों से समृद्ध हो गए। प्रदेश में देश में सर्वाधिक स्थाई परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ। 44.33 लाख परिवारों को जॉब कार्ड दिए जा चुके हैं। 197.17 करोड़ मानव दिवस सृजित हुए। इसमें अनुसूचित जाति के 35.43 करोड़ मानव दिवस तथा अनुसूचित जनजाति के 79.67 करोड़ मानव दिवस सृजित हुए। महिला मानव दिवस 85.16 करोड़ तथा पूर्ण कार्यों की संख्या 23.45 लाख रही।

रोजगार के साथ नवाचार भी

महात्मा गांधी राष्ट्रीय

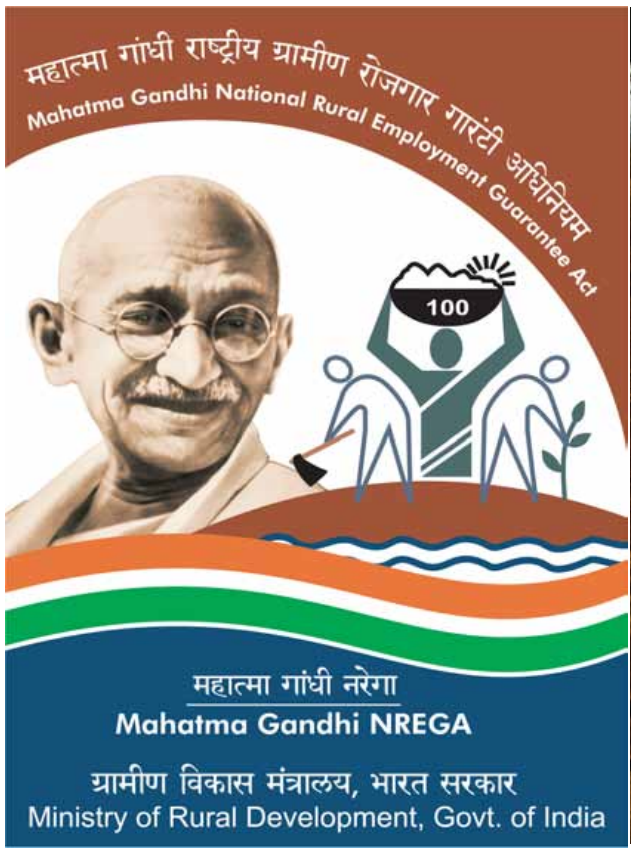

यह योजना भारत सरकार द्वारा "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005" के तहत संचालित है।

योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों के अकुशल श्रम (मजदूरी) करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों को 100 दिवस का श्रम मूलक रोजगार उपलब्ध कराकर आजीविका सुरक्षा बढ़ाना है। वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन भूमि पर हक प्रमाण पत्र धारक परिवारों को 150 दिवस का श्रम मूलक रोजगार उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करना है। फरवरी 2006 से प्रारंभ यह योजना प्रदेश के समस्त 51 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है।

योजना के पात्र

ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों के अकुशल श्रम (मजदूरी) करने के इच्छुक वयस्क सदस्य।

योजना क्रियान्वयन प्रक्रिया

इच्छुक परिवार को ग्राम पंचायत में परिवार का पंजीयन कराना होगा। पंजीकृत परिवार को ग्राम पंचायत निःशुल्क जॉबकार्ड प्रदान करेगी। जॉबकार्डधारक द्वारा रोजगार का आवेदन करने पर 15 दिवस के अंदर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

योजना के तहत मजदूरी

मजदूरी, श्रमायुक्त द्वारा कृषि श्रमिकों के लिये निर्धारित दर से अथवा केन्द्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के लिये निर्धारित दर से बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ई-एफएमएस पद्धति से मजदूरी का भुगतान किया जाता है।

मजदूरी का भुगतान योजना अंतर्गत "जितना काम उतना दाम" के आधार पर अधिकतम 15 दिवस में किये जाने का प्रावधान है। योजनांतर्गत वर्तमान में 167.00 रुपये प्रतिदिन मजदूरी दर (01 अप्रैल 2016 से) प्रभावशील है। पुरुष एवं महिला की मजदूरी दर समान है।

योजना की विशिष्टता

बेरोजगारी भत्ता

यदि किसी आवेदक को 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उसे बेरोजगारी भत्ते की पात्रता होगी। बेरोजगारी भत्ता पहले 30 दिनों के लिये न्यूनतम मजदूरी का एक-चौथाई तथा शेष दिनों के लिये न्यूनतम मजदूरी के आधे की दर से दिया जायेगा।

कार्यस्थल पर सुविधायें

पीने के पानी, छाया की व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा तथा कार्यस्थल पर मजदूरों के 06 वर्ष से कम आयु के न्यूनतम 05 बच्चे होने पर झूलाघर की व्यवस्था की जाती है।

दुर्घटना क्षतिपूर्ति

यदि कार्य स्थल पर दुर्घटना में कोई मजदूर घायल होता है तो उसे निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे मजदूर की मृत्यु अथवा अस्थायी रूप से अपंग होने पर क्षतिपूर्ति के रूप में अधिकतम 25 हजार रुपये तक भुगतान किया जाता है।

योजना के कार्यों का स्वरूप

योजनांतर्गत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लक्षित वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित करने के साथ ही स्थाई परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु हितग्राहीमूलक एवं सामुदायिक विकास मूलक उपयोजनाएं संचालित एवं क्रियान्वित की जा रही हैं।

योजना में हितग्राही को लाभ

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों या गरीबी रेखा से नीचे के परिवार या भूमि सुधार के हिताधिकारियों या इंदिरा

ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना

आवास योजना के हिताधिकारियों या महिला मुखिया वाले परिवार या विकलांग मुखिया वाले परिवार या वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन भूमि पर हक प्रमाण पत्र धारक परिवार या ऋण अधित्यजन अधिनियम 2008 के तहत यथा परिभाषित लघु एवं सीमांत कृषक परिवार की निजी भूमि पर सिंचाई सुविधा, बागवानी और भूमि विकास सुविधा के कार्य किये जाकर लाभान्वित किया जा रहा है। जनवरी 2012 से ग्राम कोटवार को प्रदाय शासकीय सेवा भूमि के विकास हेतु लाभ दिये जाने का प्रावधान किया गया है। एक वित्तीय वर्ष में किसी भी अवधि में 100 दिवस एवं वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत हक प्रमाण पत्र धारक जॉबकार्डधारी परिवारों को 150 दिवस का रोजगार प्राप्त करने का अधिकार। कार्य नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ते का पात्रता। कार्यस्थल पर दुर्घटना होने पर क्षतिपूर्ति का अधिकार।

नवाचार

'प्रिय मित्र' पत्र से रोजगार की दस्तक, हर ग्रामीण घर तक MITR (Main Streaming is Their Right) मनरेगा के तहत हर जॉबकार्डधारी को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये प्रिय मित्र पत्र की पहल की गयी है। इसके तहत प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा मनरेगा के प्रगतिरत कार्यों के बारे में प्रतिमाह प्रिय मित्र पत्र देकर ग्रामीणों को बताया जा रहा है। जिससे जॉबकार्डधारी परिवार को इस बात की जानकारी मिल सके कि ग्राम पंचायत में कौन-कौन से कार्य चल रहे हैं जिन पर जॉबकार्डधारी परिवार काम करने के लिये आ सकता है। साथ ही उसे रोजाना मिलने वाली मजदूरी की दर, ग्रामीण परिवार द्वारा साल में किये जाने वाले कार्य दिवस तथा मजदूरी पर मिलने वाली राशि आदि की जानकारी दी जा रही है।

रोजगार संवाद कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक 'नियत' दिनांक को प्रत्येक माह ग्राम संवाद दिवस एवं ग्रामसभा का आयोजन किया जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य ग्रामीणों को योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाना एवं योजना के क्रियान्वयन में आ रही दिक्कतों को दूर कर योजना को बेहतर क्रियान्वित कराना है। रोजगार संवाद

मनरेगा से हुआ दोहरा फायदा, कुएं ने बढ़ायी उपज

खेत जाने का रास्ता भी बना

कटनी जिले की ग्राम पंचायत घुघरा में बिस्मिल्ला बी को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-मध्यप्रदेश (मनरेगा) से दोहरा लाभ हुआ। बिस्मिल्ला बी के पुत्र रशीद खान ने बताया कि उनकी माता के नाम पर कपिलधारा कूप स्वीकृत हुआ था। उनके खेत में मनरेगा स्कीम अंतर्गत कूप का निर्माण कराया गया। जिसके हो जाने से खेती की भूमि सिंचित हो गई है। रशीद खान का कहना है, कि उनके यहाँ लगभग 7 एकड़ खेती योग्य भूमि है। खेत में कूप निर्माण हो जाने से भूमि सिंचित हो गई है, जहाँ पहले सिंचाई के अभाव में वर्ष में एक फसल ही मिल पाती थी और फसल की उपज कम होती थी। वहीं आज सिंचाई सुविधा हो जाने से फसल की उपज में कई गुना वृद्धि हो गई है तथा वर्ष में 02 फसलें होने लगी हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

रशीद खान ने बताया कि इस वर्ष धान फसल भी अच्छी हुई है, और धान की पैदावार भी 70 से 80 क्विंटल होने का अनुमान है। जो पूर्व वर्षों की तुलना में 5 से 6 गुना अधिक होगी। उन्होंने बताया कि उनकी आय का साधन खेती है। जिस पर उनका परिवार निर्भर है, रशीद खान बताते हैं, कि शासन की योजना से जहाँ एक ओर कपिल धारा कूप मिल जाने से खेती की भूमि सिंचित हुई है, वहीं सुदूर ग्रामीण खेत सड़क बन जाने से खेत तक जाने में तथा खेती के उपकरण ले जाने में सुविधा हो गई।

उन्होंने बताया कि खेत सड़क बनने से पहले दूसरे के खेत से होकर जाना पड़ता था। जिससे खेत तक जाने में असुविधा होती थी। खेत सड़क के बन जाने से आस-पास के कई किसानों को लाभ हुआ है, और खेत तक आने-जाने में सुविधा हुई है।

जनपद पंचायत रीठी की ग्राम पंचायत घुघरा के रोजगार सहायक देवराज केवट ने बताया कि हितग्राही बिस्मिल्ला बी के खेत में 2 लाख 81 हजार की स्वीकृत राशि से कूप निर्माण कराया गया है। जिसमें 1278 मानव दिवस सृजित हुए हैं, सुदूर ग्रामीण खेत सड़क पीडब्ल्यूडी मार्ग से बिस्मिल्ला बी के खेत तक 6 लाख 68 हजार की स्वीकृत राशि से कराया गया है। इस मार्ग के बन जाने से लगभग 10 किसानों को इसका सीधा लाभ हुआ है। इन कार्यों से जॉबकार्डधारी परिवारों को रोजगार उपलब्ध हुआ है।

दिवस के दिन योजना के क्रियान्वयन से संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहकर मौके पर ही ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण कराना सुनिश्चित करते हैं। इसी दिन अन्य विभागों के अधिकारी भी अपने विभाग की योजनाओं का प्रचार-प्रसार भी करते हैं।

हितैषी (HITEISHI-Hitgrahi Enabled To Invest and Suggest Household for Implementation)

मनरेगा अंतर्गत पात्र हितग्राही अपने खेत एवं आवासीय परिसर में मनरेगा की जिन उपयोजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, हितैषी आवेदन पत्र दे सकते हैं। हितैषी आवेदन पत्र ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के पात्र हितग्राहियों को मुहैया कराये गये हैं। इस कार्यवाही से हितग्राहियों को अपने खेत एवं आवासीय परिसर में मनरेगा की उपयोजनाओं का लाभ लेना आसान हुआ है।

चलो चरनोई

कृषि आधारित कार्यों को बढ़ावा देने हेतु पशु विकास उपयोजना अंतर्गत चारागाह विकास के लिये चलो चरनोई के नाम से गतिविधि दिसम्बर 2015 से प्रारंभ। राजस्व अभिलेख में चिंहित चरनोई भूमि को सुरक्षित रखने एवं विभाजित करने हेतु सूखे पत्थर की दीवार अथवा सी.पी.टी. का निर्माण। अलग-अलग भागों में विभाजित होने से बारी-बारी

से हमेशा चारा उपलब्ध। विकसित चारागाह में चारा बीज की व्यवस्था अभिसरण के रूप में जिला पशु कल्याण समिति द्वारा किये जाने का प्रावधान।

फाईल ट्रैकिंग साफ्टवेयर-उत्तरा (UTTRA)

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद में आवेदकों द्वारा दिये गये पत्रों पर अविलंब कार्यवाही एवं प्रचलित फाईलों के ट्रैकिंग के लिये उत्तरा Universal Transparent Tracking of Applications and Responses to Applications (UTTARA) साफ्टवेयर का प्रयोग किया जा रहा है।

EFMS-(Electronic Fund Management System)

मनरेगा के क्रियान्वयन को बेहतर बनाने, मजदूरी भुगतान समय-सीमा में सुनिश्चित कराने एवं सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से मनरेगा क्रियान्वयन की बेहतर मॉनीटरिंग के लिये मध्यप्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। मध्यप्रदेश द्वारा की गई इस पहल का अन्य राज्यों द्वारा भी अनुकरण किया है।

मध्यप्रदेश में 1 अप्रैल 2014 से यह प्रणाली लागू की गयी। जिसके तहत काम करने वाले मजदूरों की इंट्री ऑनलाइन मनरेगा पोर्टल पर की जाती है तथा ई-मस्टर रोल निकाला जाता है।

एक सप्ताह के पश्चात इस ई-मस्टर की मूल्यांकन उपरांत पोर्टल में इंट्री की जाती है तथा मजदूरी के फण्ड ट्रांसफर आर्डर (एफटीओ) जारी करके मजदूरों के खातों में राशि ई-ट्रांसफर की जाती है। यह सारी प्रक्रिया मनरेगा के पोर्टल पर प्रदर्शित होती है जिससे समय सीमा में मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित होता है क्रियान्वयन की मानीटरिंग करना आसान होती है।

एक ही खाते से राशि का भुगतान

मध्यप्रदेश में मनरेगा का प्रदेश स्तर पर एक ही अकाउण्ट संधारित किया जाता है। इस अकाउण्ट से ही पूरे प्रदेश में मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2015 से लागू की गयी है।

सीसी रोड बनने से ग्रामवासी हुए खुश

ऐठाखेड़ा के ग्राम पिण्डरई में बनी रोड

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना एवं पंच परमेश्वर योजना के अभिसरण मद से जबलपुर जिले की जनपद पंचायत जबलपुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत ऐठाखेड़ा के ग्राम पिण्डरई में बनाई गई सीमेंट कांक्रीट से गांव में आना-जाना आसान हो गया है। 2 लाख 70 हजार की लागत से 112 मीटर लम्बी बनाई गई सी.सी. रोड से गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है। जिस गांव में हमेशा गंदगी एवं कीचड़ रहता था जिससे लोगों को बीमारियां एवं रास्ते से आने-जाने में दिक्कतें होती थीं अब ऐसा नहीं है। गांव में सी.सी. रोड बनाने से हमेशा कीचड़ और गंदगी से गांव में मलेरिया व अन्य होने वाली अनेक प्रकार की बीमारियां कम हो रही हैं।

यहां की सरपंच श्रीमती गुड्डी बाई गौड़ बताती है कि मनरेगा व पंच-परमेश्वर योजना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। मनरेगा से मजदूरों को गांव में ही काम उपलब्ध कराया जाता है तो पंच-परमेश्वर योजना राशि से सीमेंट व रेत गिट्टी इत्यादि सामग्री से गांव में सी.सी. रोड व नालियां बनाई जा रही हैं। सी.सी. रोड व नालियों से एक तो गांव साफ-सुथरा हो गया है वहीं बरसात के समय गांव में आने-जाने में जो कीचड़ की वजह से परेशानी होती थी उससे भी मुक्ति मिल गई है। ग्राम पिण्डरई वार्ड क्रमांक 10 के पंच सहदेव सिंह गौड़ ने बताया कि वार्ड क्रमांक 10 में सूरज के घर से खैरमाई मंदिर तक 112 मीटर बनाई गई सी.सी. रोड से ग्रामवासियों का आना-जाना आसान हो गया है।

सचिव शिवशंकर यादव ने बताया कि ग्राम पंचायत ऐठाखेड़ा का पोशक गांव है पिण्डरई है। जहाँ बरसात के समय गांव आने-जाने में कीचड़ की वजह से परेशानी होती थी। मनरेगा व पंच-परमेश्वर योजना के अभिसरण से 2.70 लाख की लागत से 112 मीटर लंबी सूरज के घर से खैरमाई मंदिर तक सीमेंट कांक्रीट स्वीकृत की गई थी जो जुलाई माह में पूर्ण हुई। इस कार्य में ग्राम के जॉबकार्डधारी परिवारों को गांव में ही काम उपलब्ध कराया गया है वहीं वर्षों पुरानी समस्या से भी निजात मिल गई है। श्री यादव ने बताया कि जुलाई माह में उपयंत्री प्रशांत झा की उपस्थिति में सी.सी. रोड का कार्य प्रारंभ किया गया था जो अगस्त माह में पूर्ण हो गया है। एक माह में 112 मीटर सी.सी. रोड बनकर तैयार हो गई, जिससे गांव वालों को इस बारिश में कीचड़ से परेशानी नहीं हुई।

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना

अब सड़कें खेतों की मेढ़ों तक

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क	
भौतिक स्वीकृति	- 2716 किमी
भौतिक उपलब्धि	- 2716 किमी
वित्तीय स्वीकृति	- 500 करोड़
वित्तीय उपलब्धि	- 482 करोड़

सड़कें विकास और समृद्धि का पर्याय कहलाती हैं। सड़कें आवागमन के साथ-साथ विकास में भी सहायक होती हैं। गांवों को विकास की मुख्य धारा और शहरों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों से जोड़ा जा रहा है। लेकिन फिर भी कई छोटे-छोटे गाँव हैं जो सड़कविहीन हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से वंचित गाँवों में सड़क संपर्क बनाने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत सामान्य क्षेत्रों में 500 से कम आबादी और आदिवासी क्षेत्रों में 250 से कम आबादी वाले गाँवों को मुख्य सड़क से जोड़ा जाता है।

गैर आदिवासी क्षेत्र में 500 तथा आदिवासी क्षेत्र में 250 आबादी से कम के ग्रामों को बारहमासी आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2010-11 से योजना प्रारंभ। वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर कुल स्वीकृत 8026 सड़कें लंबाई 18,580 किमी लागत रुपये 4,024 करोड़ में से 6,337 सड़कें लंबाई 14,329 किमी बनाई जाकर रुपये 2,447.82 करोड़ व्यय।

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में अब तक 6,337 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूर्ण कर लक्ष्य अनुरूप शत-प्रतिशत कार्य किया गया। इस तरह मध्यप्रदेश में विकास की चमक सड़कों पर साफ दिखायी दे रही है। जिससे आवागमन सुनिश्चित होने से किसानों को आवश्यक कार्य करने तथा यथासमय फसल उपार्जन के लिए पहुँचना आसान हो गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

किसी भी प्रदेश के विकास के लिए आधारभूत अधोसंरचना उपलब्ध होना बेहद जरूरी है। मध्यप्रदेश में भी अधोसंरचनात्मक विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का आधार हैं सड़कें। गांवों को सड़कों से जोड़े बिना विकास के रास्ते पर नहीं लाया जा सकता है। इसीलिए गांवों तक सड़क सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य गांवों को नगरों से जोड़ना है। इस योजनान्तर्गत मध्यप्रदेश में बारहमासी सड़कों का ऐसा जाल बिछाया जा रहा है जो ग्रामवासियों को नगरों से जोड़ने का सूत्र बन सके। मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वर्ष 2004 तक कुल 8659 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत की गई थीं जो वर्ष 2016 में बढ़कर 74866 किलोमीटर हो गई हैं। वर्ष 2014 में लगभग 3655 किलोमीटर बन कर तैयार हो गई थी तथा वर्ष 2016 तक 63111 किलोमीटर सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन चुकी हैं।

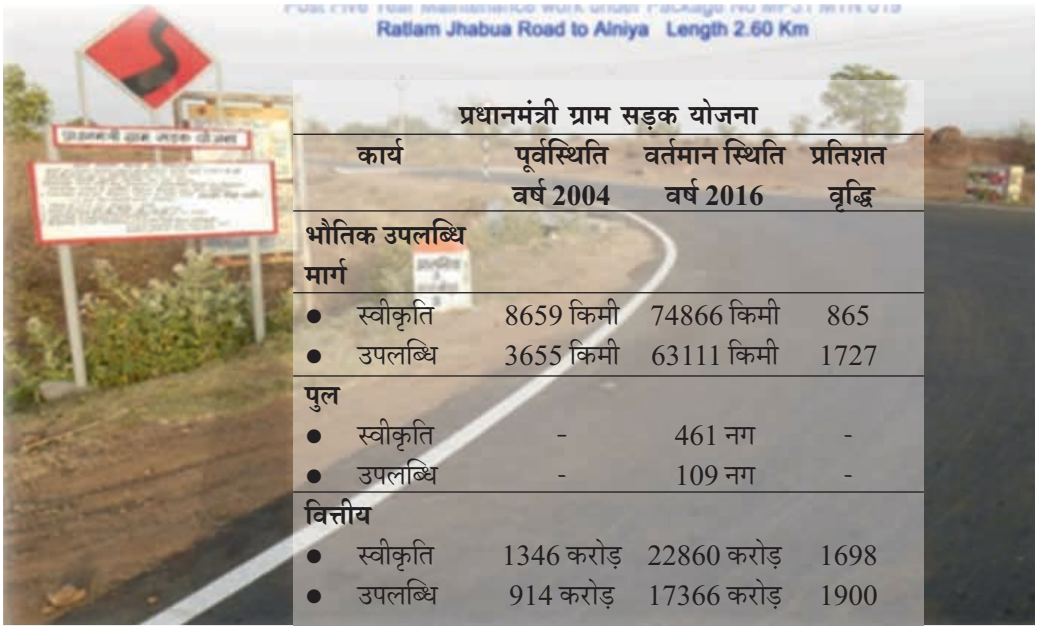

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

कार्य	पूर्वस्थिति वर्ष 2004	वर्तमान स्थिति वर्ष 2016	प्रतिशत वृद्धि
भौतिक उपलब्धि मार्ग			
● स्वीकृति	8659 किमी	74866 किमी	865
● उपलब्धि	3655 किमी	63111 किमी	1727
पुल			
● स्वीकृति	-	461 नग	-
● उपलब्धि	-	109 नग	-
वित्तीय			
● स्वीकृति	1346 करोड़	22860 करोड़	1698
● उपलब्धि	914 करोड़	17366 करोड़	1900

ग्यारह साल में बनी लगभग पिचहत्तर हजार किलोमीटर सड़कें

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

कार्य	पूर्व स्थिति वर्ष 2004	वर्तमान स्थिति वर्ष 2016
मार्गों का संधारण तथा उन्नयन कार्य		
भौतिक		
नवीनीकरण	-	19165 किमी
उन्नयन	-	1193 किमी
वित्तीय उपलब्धि	-	2846.12 करोड़
स्टेट कनेक्टिविटी मद से कार्य		
भौतिक		
स्वीकृति	-	1382 किमी
उपलब्धि	-	525 किमी
वित्तीय		
स्वीकृति	-	646.35 करोड़
उपलब्धि	-	299 करोड़

विगत 11 वर्षों के दौरान 13,153 मार्गों (लंबाई 57,618 कि.मी.) का निर्माण कार्य पूर्ण। योजना में रुपये 15,410 करोड़ व्यय किया जाकर 13,050 बसाहटें लाभान्वित तथा 95 नग बड़े पुलों का निर्माण।

वर्ष 2015-16 तक योजनांतर्गत निर्मित मार्गों का संधारण कार्य हेतु रुपये 2,055.14 करोड़ व्यय, जिसके अंतर्गत 16,440 किमी. मार्गों के नवीनीकरण का कार्य भी सम्मिलित।

वर्ष 2016-17 में अप्रैल 2016 से अगस्त 2016 तक योजनांतर्गत 338 मार्गों (लंबाई 2,326 किमी.) का कार्य पूर्ण किया जाकर रुपये 464 करोड़ व्यय। निर्मित मार्गों के संधारण कार्य के अंतर्गत 2,240 किमी. मार्ग का नवीनीकरण करते हुए संधारण मद में रुपये

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन

मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत गरीब आवासहीन परिवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा पक्का मकान उपलब्ध करवाने के लिये मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन अंतर्गत मुख्यमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2011 से हुई थी। यह योजना मध्यप्रदेश शासन द्वारा 11 राष्ट्रीयकृत बैंकों, 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और 8 जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से चलाई जा रही है। इस योजनान्तर्गत हितग्राही द्वारा स्वयं के आवास का निर्माण किया जाता है। योजना में हितग्राही को पात्रतानुसार ऋण पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर बैंक द्वारा 10, 12 और 15 वर्षीय ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजनान्तर्गत आवास की न्यूनतम लागत एक लाख बीस हजार रुपये है जिसमें हितग्राही का अंशदान बीस हजार रुपये है। बैंक द्वारा हितग्राही को एक लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया जाता है। इसमें से बैंक को पचास हजार रुपये के ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान हितग्राही द्वारा समान किश्तों में किया जाता है। शेष पचास हजार रुपये की राशि शासकीय अनुदान है। जिसका ब्याज सहित भुगतान राज्य शासन करती है।

अब कोई नहीं रहेगा आवासहीन

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन यह एक पूर्णतः 'मांग आधारित स्वभागीदारी ऋण-सह-अनुदान' योजना है। मिशन अन्तर्गत हितग्राही द्वारा, विभिन्न अभिन्यासों के अनुरूप स्वयं आवास का निर्माण किया जाता है। हितग्राही को पात्रतानुसार ऋण पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर बैंक द्वारा 10, 12 तथा 15 वर्षीय ऋण प्रदान किया जाता है।

अधिकतम एक हेक्टेयर कृषि भूमि धारक परिवार अथवा रुपये 2.00 लाख अधिकतम वार्षिक आय सीमा के ग्रामीण परिवार इस योजना में आवासीय ऋण के लिए पात्र हैं। बैंकों द्वारा हितग्राही को पट्टा, भू-खण्ड धारक प्रमाण-पत्र के आधार पर हितग्राही के भू-खण्ड को बंधक रखकर आवास ऋण स्वीकृत और वितरित किया जाता है।

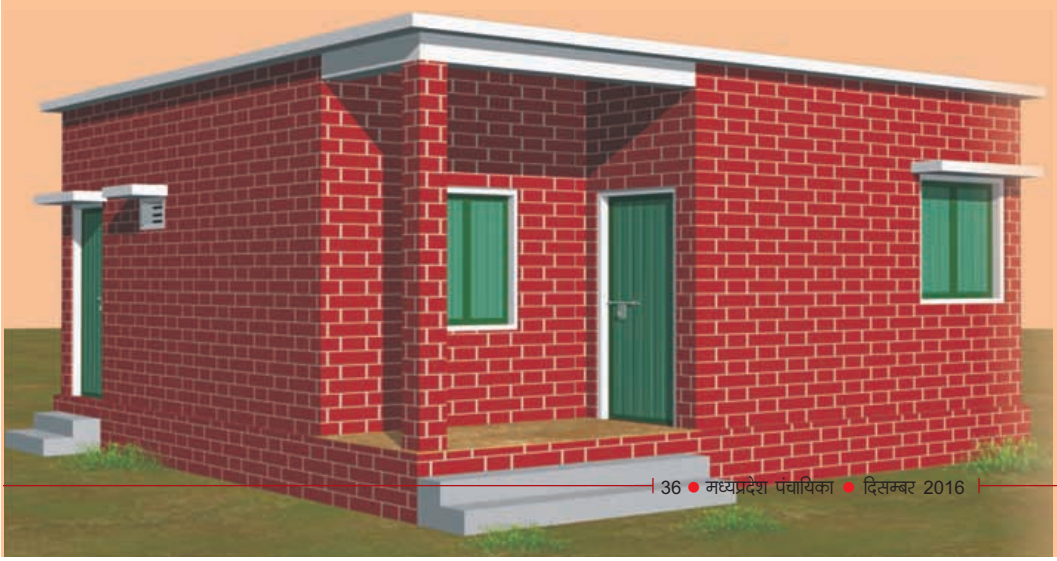

योजना में आवास न्यूनतम 225 वर्गफुट कुर्सी क्षेत्रफल में निर्मित होगा जिसमें एक कमरा, रसोई का स्थान, बरामदा एवं शौचालय व स्नानागार रहता है। आवास की लागत रु. 1,20,000/- है। जिसमें हितग्राही का अंशदान रु. 20,000/- है। बैंक द्वारा हितग्राही को रुपये 1,00,000/- (रु. एक लाख) का ऋण स्वीकृत किया जाता है। इसमें से बैंक को रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार) के ऋण का ब्याज सहित पुनर्भुगतान हितग्राही द्वारा समान मासिक किश्तों में किया एवं शेष रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) के ऋण का ब्याज सहित पुनर्भुगतान राज्य शासन द्वारा समान मासिक किश्तों में किया जाता है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन

वर्ष 2011-12 से मांग आधारित स्वभागीदारी ऋण-सह-अनुदान योजना के

रूप में प्रारम्भ।

ग्रामीण क्षेत्र में आवासहीन एवं कच्चे/अर्धपक्के आवासों में निवासरत ग्रामीणों को पक्के आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य।

6,63,559 ग्रामीण परिवारों को आवास निर्माण हेतु लगभग राशि रु. 6,084.086 करोड़ का बैंक ऋण एवं शासकीय अनुदान वितरित। पूर्व में वर्ष 2004 में कोई आवास निर्मित नहीं किये गये थे। वहीं वर्ष 2016 में 6,63,559 आवास

मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास योजना

मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास योजना मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों के लिये वर्ष 2007 में प्रारंभ की गई हैं। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को लाभान्वित किया जाता है।

मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास

वर्ष 2007-08 से योजना प्रारम्भ। योजनांतर्गत ग्रामीण बीपीएल आवासहीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य। वर्ष 2007-08 से 2015-16 तक कुल 26,704 आवास निर्मित। इस योजना में विगत 11 वर्षों में 2016 तक 26,704 आवास आवंटित हुए और कार्य में 267 प्रतिशत वृद्धि हुई।

जागरूक बुन्दा बाई
जिसने उठाया योजना का लाभ

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन अंतर्गत हितग्राही श्रीमती बुंदा पति राजू (अनुसूचित जनजाति) ग्राम कनारा ग्राम पंचायत सराड, जनपद पंचायत बैतूल की निवासी हैं। जो कृषि कार्य में संलग्न होकर अपना भरण-पोषण करती हैं।

ग्राम पंचायत, सराड में 2 अप्रैल 2015 को आयोजित ग्राम सभा की बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन की जानकारी देने पर श्रीमती बुंदा बाई ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन से लाभांवित होने की मंशा प्रकट की, इनका आवेदन पत्र पंचायत समन्वयक अधिकारी द्वारा तैयार कर बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा खेडीसावलीगढ़ में प्रस्तुत किया गया। बैंक द्वारा मई 2015 में ऋण प्रकरण में स्वीकृति प्रदान की गई। हितग्राही द्वारा कार्य प्रारंभ करने पर बैंक द्वारा प्रथम किश्त की राशि रुपये 50,000/- का वितरण जून 2015 में किया गया, तथा दूसरी किश्त राशि रुपये 50,000/- अक्टूबर 2015 में वितरित की गई। श्रीमती बुंदा बाई द्वारा अक्टूबर 2015 में आवास निर्माण कार्य शौचालय सहित पूर्ण कर लिया गया।

वर्तमान में श्रीमती बुंदा बाई कहती हैं कि पूर्व में हम कच्चे मकान में निवास करते थे जिसके कारण कई परेशानियां होती थीं वर्षा के समय पानी रिसने तथा घर में नमी होने से बच्चे बार-बार अस्वस्थ होते थे एवं बीमारियों पर खर्चा ज्यादा था। सांप बिच्छू का डर भी बना रहता था किन्तु अब मेरे द्वारा आवास मिशन की सहायता से पक्का आवास बना लिया गया है साथ में शौचालय भी बनाया है जिससे कि खुले में शौच हेतु जाना नहीं पड़ता है अब बच्चे व पूरा परिवार भी स्वस्थ रहता है। पक्का मकान होने से समाज में मान-सम्मान बढ़ा है, एवं आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई है। सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी पक्के आवास में जिन्दगी गुजरेगी क्योंकि कृषि कार्य से इतनी आमदनी नहीं होती है कि पक्का आवास बनाया जा सके। किन्तु मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के कारण हमारा घर बनाने का सपना सच हुआ है और आज हम सुरक्षित सम्मानपूर्वक अपने आशियाने में रह रहे हैं।

इंदिरा आवास योजना

आवास बनाने का सपना हुआ पूरा

हर व्यक्ति का सपना होता है, कि उसका एक अच्छा घर हो। मकान को बनाने के लिए रुपयों की जरूरत होती है, आर्थिक स्थिति से कमजोर व्यक्ति के लिए अपना पक्का मकान बनाने में काफी दिक्कत होती है। ऐसे में व्यक्ति को मकान बनाने के लिए की शासन से मदद मिल जाए तो उसका यह सपना शीघ्र पूरा हो जाता है। कटनी जिले में इंदिरा आवास एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को आवास बनाने के लिए अनुदान एवं ऋण सहित अनुदान दिया जा रहा है। कटनी जिले की ग्राम पंचायत बड़खेरा निवासी दिलीप सिंह का मकान बनाने का सपना मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन से पूरा हुआ है, वहीं पुरुषोत्तम कुम्हार का मकान इंदिरा आवास योजना से बना है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन से दिलीप सिंह ने मकान का निर्माण कराया है। वह बताते हैं कि मकान बनाने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, वह कच्चे एवं जर्जर मकान में रह रहे थे। उन्हें मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन से ऋण सह-अनुदान मिला जिससे उन्होंने पक्का मकान बनवाया है। दिलीप सिंह बताते हैं कि शासन की योजना से लाभ मिल जाने से उनका मकान बन सका है। ग्राम पंचायत बड़खेरा निवासी पुरुषोत्तम कुम्हार का पक्का मकान इंदिरा आवास योजना से पूर्ण हुआ है। पुरुषोत्तम की माता जी ने बताया कि पुरुषोत्तम पहले कच्चे मकान में परिवार के साथ रहता था। और उसकी गुंजाईश पक्का मकान बनाने की नहीं थी। बारिश के दिनों में कच्चे मकान में बहुत परेशानी होती थी। मकान के अंदर पानी टपकता था, जिसमें रहने में बहुत परेशानी होती थी। शासन की इंदिरा आवास योजनांतर्गत पुरुषोत्तम कुम्हार को मकान बनाने के लिए राशि मिली और उस राशि से पुरुषोत्तम ने 02 कमरों का पक्का मकान बनवाया जिससे रहने में काफी सुविधा हुई है, और पुरुषोत्तम का पक्के मकान बनावाने का सपना पूरा हो सका। ग्राम पंचायत बड़खेरा के रोजगार सहायक ने बताया कि पुरुषोत्तम कुम्हार को वर्ष 2013-14 में स्वीकृत हुआ था जिसमें 70 हजार रुपये इंदिरा आवास योजनांतर्गत मकान बनाने अनुदान दिया गया था। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन अंतर्गत दिलीप सिंह को 1 लाख रुपए ऋण सह-अनुदान दिया गया है। इसमें हितग्राही द्वारा स्वयं 20 हजार रुपये व्यय किये जाते हैं। अतः मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन योजना अंतर्गत कुल 1 लाख 20 हजार रुपये स्वीकृत होते हैं।

आवास मानव जीवन की सबसे जरूरी मूल आवश्यकताओं में से है एक है। सभी का सपना होता है कि उसका एक अपना घर हो। अपना घर होने से जहाँ व्यक्ति को समाज में पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा और सम्मान मिलता है वहीं आवासहीन होने से असुरक्षा का भाव विकसित होता है। हमारे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है।

अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास रहने के मकान नहीं हैं। अगर हैं भी तो वो भी कच्चे हैं। ऐसे ही लोगों को आवास सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा इंदिरा आवास योजना चलाई जा रही है।

इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे निवासरत और आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीणों को आवास सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजना का क्रियान्वयन जिला पंचायत और ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत 60 प्रतिशत आवास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए, 15 प्रतिशत अल्पसंख्यक वर्ग के लिए और शेष 25 प्रतिशत आवास सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित हैं।

इंदिरा आवास

1 जनवरी 1996 से योजना प्रारंभ। योजनांतर्गत ग्रामीण बीपीएल आवासहीन परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य। वर्ष 2004 से 2011-12 तक कुल 9,28,489 आवास निर्मित। वर्ष 2002-03 में कुल 37,14,723 आवासहीन बीपीएल परिवार, जिन्हें आवास उपलब्ध कराना था। इस योजना में वर्ष 2004 में 2,71,984 आवास निर्मित हुए वहीं पिछले 11 वर्षों में 2016 तक 9,28,489 आवास निर्मित कर कार्य में 341.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण

गाँव में हर गरीब को मिलेगा आवास

आवास प्रत्येक नागरिक का मूलभूत अधिकार है। यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक नागरिक के पास साफ-सुथरा तथा सुरक्षित मकान हो। जिसमें वह सम्मान के साथ अपना जीवत व्यतीत कर सकें। अधिकांश ग्रामीण परिवार विशेषकर जो उपेक्षित हैं, अपनी कम आय के कारण एक अच्छे मकान का निर्माण नहीं कर पाते हैं और न ही उन्हें जन-सुविधाएं मिलती हैं। मकानों की भारी कमी के अलावा भीड़-भाड़ वाले इलाकों और जर्जर हो चुके मकानों, बाढ़, चक्रवात, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से तथा उपद्रव की घटनाओं के कारण तबाह हो चुके मकानों से भी आवास की कमी की समस्या बढ़ जाती है।

ग्रामीण आवास की आवश्यकता को पूरा करना और विशेषकर सबसे गरीबों के लिए आवास की कमी की समस्या को हल करना एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसे सरकार के गरीबी उन्मूलन प्रयासों के एक भाग के रूप में प्रारम्भ किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार के निर्णय 25 मार्च 2016 के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इंदिरा आवास योजना के स्थान पर "सबके लिए आवास 2022" के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) प्रांरभ की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) क्षेत्रों में पात्र परिवारों को मकान उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है।

योजना का लक्ष्य

इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा संपूर्ण भारत वर्ष वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 इन तीन वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में 1 करोड़ आवास का निर्माण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

मध्यप्रदेश में एक अप्रैल 2016 से प्रारंभ इस योजना के तहत वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-19 तक, तीन वर्षों में कुल

1178000 आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है। कुल लक्ष्य में से 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों को आवंटित करना अनिवार्य है।

हितग्राहियों का चयन

सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना-2011 के आंकड़ों से आवास सॉफ्ट में प्रविष्ट डाटा के आधार पर हितग्राहियों का चयन किया जाना है, चयन प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :-

- पात्र हितग्राहियों की सूची तैयार करना।
- प्राथमिकता अनुसार हितग्राहियों की सूची तैयार करना।
- ग्राम सभा में तैयार सूची का सत्यापन करना।
- शिकायत का निराकरण अपीलीय समिति द्वारा करना।
- प्राथमिकता क्रम में अंतिम सूची का प्रकाशन।
- तैयार सूची से वार्षिक लक्ष्य अनुसार हितग्राहियों का चयन करना।

वर्ष 2016-17 में सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना-2011 के अनुसार समस्त आवासहीन तथा शून्य कक्ष कच्चा आवास श्रेणी में दर्ज हितग्राहियों को लाभान्वित किया जावेगा। शेष लक्षित हितग्राहियों को एक कक्ष कच्चा आवास में वर्गीकृत परिवारों से लिया जावेगा।

14 अप्रैल से 31 मई तक आयोजित ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के दौरान ग्राम सभा से सत्यापन कर प्राथमिकता सूची तैयार की गई है।

आवासहीन, शून्य कक्ष कच्चा आवास 1 कक्ष अथवा 2 कक्ष कच्चे आवास की सूची का सत्यापन कराया जाकर सत्यापित सूची की प्रविष्टि आवास सॉफ्ट में कराई जाकर प्राथमिकता सूची तैयार की जायेगी।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना तथा सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत चयनित ग्राम में शेष बचे समस्त पात्र हितग्राहियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

रूरबन मिशन के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में एक कक्ष कच्चा आवास वर्ग के सभी स्वतः चयनित पात्र हितग्राहियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

स्वतः सम्मिलित परिवार

- आश्रयविहीन परिवार।
- बेसहारा/भिक्षा मांगने वाले परिवार।
- मैला ढोने वाले।
- आदिम जनजातीय समूह।
- कानूनी रूप से मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूर।

डिप्रिवेशन मापदण्ड

प्रत्येक के लिये एक बराबर महत्व

योजना के क्रियान्वयन में ऐसी स्थिति आ सकती है जब आवास निर्माण का लक्ष्य कम निर्धारित किया गया हो तथा पात्र हितग्राही अधिक हों ऐसी स्थिति में डिप्रिवेशन मापदण्ड के अनुसार हितग्राही का चयन किया जायेगा।

प्रत्येक मापदण्ड के लिये एक अंक दिया जावेगा। अधिक अंक प्राप्त करने वाले पात्र परिवार को वरीयता दी जायेगी।

आवास की डिजाइन

आवास की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की सलाहकार संस्था यू.एन.डी.पी. नई दिल्ली द्वारा प्रदेश के 9 अंचलों के लिये अलग-अलग आवास की डिजाइन तैयार की गई है। हितग्राही इन 9 डिजाइनों में से किसी एक अथवा स्थानीय परिवेश और अपनी आवश्यकतानुसार डिजाइन का चयन कर सकता है बशर्ते नवीन आवास निर्माण का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर से कम न हो। किसी भी स्थिति में अतिरिक्त राशि की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

आवास पति और पत्नी दोनों के संयुक्त नाम पर स्वीकृत किया जावेगा। एकल सदस्य की स्थिति में ही महिला अथवा पुरुष के नाम स्वीकृत किया जावेगा। भूमिहीन परिवार को आबादी पट्टा अथवा भूखण्ड परिवार की वरिष्ठ महिला सदस्य के नाम दिया जा सकता है।

मेसन प्रशिक्षण

आवास निर्माण के वृहद् लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए योजना में आगामी 3 वर्षों में प्रति ग्राम पंचायत 3 राज मिस्त्रियों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2016-17 में राज मिस्त्री के 6 प्रशिक्षण ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किये गये हैं। प्रशिक्षण के दौरान 20 ग्राम पंचायतों पर चयनित 1 मास्टर ट्रेनर द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शौचालय का निर्माण किया जायेगा।

शौचालय निर्माण के दौरान मास्टर ट्रेनर तथा प्रशिक्षण रत राज मिस्त्रियों का मूल्यांकन किया जायेगा। मूल्यांकन के उपरान्त मास्टर ट्रेनर तथा मिस्त्रियों को SSDM (MPCVET) द्वारा प्रदेश के चयनित संस्थानों में क्रमशः 10 दिवसीय तथा 45 दिवसीय प्रमाणीकृत प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जावेगा। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर और राज मिस्त्रियों को भारत सरकार, राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा प्रमाण-पत्र प्रदान किया जावेगा। भवन निर्माण सामग्री पर्याप्त मात्रा में और उचित दर पर उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था की जावेगी।

इकाई लागत

समतल क्षेत्र में 1,20,000/- रुपये

पहाड़ी क्षेत्रों तथा आई.ए.पी. जिलों में 1,30,000/- रुपये

राशि निर्गमन की प्रक्रिया

हितग्राहियों को राशि पीएफएमएस के तहत जनपद पंचायत स्तर से एफटीओ के माध्यम से तीन किश्तों में हितग्राही के बैंक खाते में प्रदाय की जायेगी।

प्रथम किश्त रुपये 60,000.00 (रुपये 65,000.00 पहाड़ी क्षेत्रों हेतु) आवास स्वीकृत होने पर तथा द्वितीय किश्त रुपये 60,000.00 (रुपये 65,000.00 पहाड़ी क्षेत्रों हेतु) आवास का निर्माण छत स्तर तक हो जाने के उपरान्त दी जायेगी।

चयनित हितग्राहियों का go-tagged फोटो वर्तमान निवास के साथ तथा स्वीकृत आवास के निर्माण स्थल के साथ लिया जायेगा जिसे आवास सॉफ्ट पर दर्ज किया जायेगा।

तीसरी किश्त के रूप में आवास निर्माण पूर्ण होने पर हितग्राही को मनरेगा योजना के तहत आवास निर्माण हेतु 90 दिवस का अकुशल श्रम के समतुल्य राशि का तथा स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत आवास में शौचालय निर्माण हेतु 12,000/- रुपये का अनुदान प्रदान किया जायेगा। (यदि पूर्व में शौचालय निर्माण हेतु सहायता न मिली हो)

हितग्राही के पास बैंक से 70,000/- रुपये तक ऋण लेकर आवास निर्माण के लिये अतिरिक्त राशि जुटाने का विकल्प भी उपलब्ध होगा।

राज्य ग्रामीण आजीविका फोरम

गरीब को लखपति बनाने का प्रयास

समावेशी विकास की ओर बढ़ते मध्यप्रदेश का विकास तभी संभव है जब ग्रामीण क्षेत्र समृद्ध हो। मध्यप्रदेश में ग्रामीण गरीब परिवारों को स्व-सहायता समूहों के रूप में संगठित कर आजीविका के स्थायी अवसर उपलब्ध कराने के लिए मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की स्थापना की गई है। इस मिशन का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करना है। गरीब परिवारों को उपयोगी स्व-रोजगार तथा कौशल आधारित आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना, निर्धनता कम करना और मजबूत बुनियादी संस्थाओं के माध्यम से गरीबों की आजीविका को स्थायी आधार प्रदान करना इस मिशन का लक्ष्य है। मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी सराहनीय काम कर रहा है। इस मिशन में महिलाओं के सम्पूर्ण विकास के तहत आर्थिक मजबूती को महत्वपूर्ण मानकर गरीब परिवारों की महिलाओं को परम्परागत आजीविका गतिविधियों के साथ-साथ दूसरी गतिविधियों से जोड़कर लखपति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मिशन में अपनाई जा रही इस प्रकिया के माध्यम से सम्पन्न हुए परिवारों को 'लखपति परिवार' नाम दिया गया है।

मध्यप्रदेश राज्य आजीविका फोरम (एमपीआरएएफ) मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत पंजीकृत समिति है जिसका पंजीयन वर्ष 2007 में किया गया। एमपीआरएएफ के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एमपीएसआरएलएम) एवं जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना (डीपीआईपी) संचालित है।

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

मध्यप्रदेश में राज्य आजीविका फोरम के तहत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रारंभ जुलाई 2012 से ग्रामीण गरीब परिवारों की महिलाओं के सशक्त स्व-सहायता समूह बनाये जाकर उनका संस्थागत विकास तथा आजीविका के संवहनीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए हुआ है। भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लिये गये निर्णय अनुरूप स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के स्थान पर आजीविका मिशन का क्रियान्वयन चरणबद्ध क्रम में चयनित जिलों में किया जा रहा है। वर्ष 16-17 में 33 जिलों के 195 विकासखण्डों में सघन रूप से कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के शेष 118 विकासखण्डों में गैर-सघन रूप से जिला पंचायतों के माध्यम से मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

मिशन का उद्देश्य

मिशन का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों की महिलाओं को स्व-सहायता समूह के रूप में संगठित कर उन्हें सशक्त बनाने हेतु प्रशिक्षित करना एवं समूह सदस्यों के परिवारों को उपयोगी स्व-रोजगार एवं कौशल आधारित मजदूरी के अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि मजबूत बुनियादी संस्थाओं के माध्यम से गरीबों की आजीविका को स्थायी आधार पर बेहतर बनाया जा सके।

रणनीति

- गरीब परिवारों के लिये आजीविका के विकल्पों में वृद्धि करना।
- बाहरी क्षेत्र में मांग अनुसार कौशल विकास करना।
- स्व-रोजगार तथा उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना।

प्रक्रिया

- पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से गरीब परिवारों की पहचान व लक्षित हितग्राहियों का चयन 4 श्रेणियों अति-गरीब, गरीब, मध्यम और आत्मनिर्भर में किया जाता है।
- हितग्राहियों की पहचान अब सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण सूचकांक (SECC) के आधार पर की जा रही है।
- सभी ग्रामीण गरीब परिवारों की एक महिला सदस्य को समयबद्ध रूप से स्व-सहायता समूह में शामिल किया जा रहा है।
- स्व-सहायता समूह का गठन एवं सशक्तिकरण किया जा रहा है।
- रिवाल्विंग फंड, सामुदायिक निवेश निधि, आपदा कोष एवं बैंक लिंकेज के माध्यम से गरीब परिवारों की छोटी-छोटी एवं बड़ी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है।
- शासन की अन्य योजनाओं से समूहों का समन्वय कर पात्रतानुसार लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है।
- स्व-सहायता समूहों के गठन पश्चात ग्राम संगठन का गठन किया जा रहा है।
- समूह सदस्यों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा, परिसंपत्तियों की बीमा सुविधा प्रदाय करने में सहयोग किया जा रहा हैं।
- ग्रामीण युवाओं को रोजगार/स्व-रोजगार हेतु कौशल आधारित प्रशिक्षण कराकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 11 वर्ष जनकल्याण के

महिलाओं ने स्वयं संभाली नल-जल योजना की कमान

मंडला जिले के ग्राम दानीटोला में महिला ग्राम संगठन ने बंद पड़ी नल-जल योजना के संचालन का दायित्व अपने हाथों में लेकर गांव को पानी समस्या से निजात दिला दी हैं। यह दायित्व चांदनी महिला आजीविका ग्राम संगठन ने उठाया है। दानीटोला ग्राम में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। ग्राम में स्थापित नल-जल योजना बंद पड़ी थी। योजना के तहत लगे हुए पाइप, टोंटी, आदि चोरी हो चुके थे वहीं पाइप भी फूटे थे। ग्राम संगठन की महिलाओं ने इस कार्य को अपने हाथों में लेने का निर्णय करते हुए ग्राम पंचायत को आवेदन दिया। जिसके फलस्वरूप 10 सितम्बर 2013 को ग्राम की नल-जल योजना के संचालन की जिम्मेदारी ग्राम संगठन को सौंपी गई। दायित्व हाथ में आते ही पुनः व्यवस्था जमाई गई। अब ग्राम में योजना के तहत 90 टोंटी के कनेक्शन हैं एवं प्रत्येक टोंटी पर 80 रुपये प्रतिमाह का किराया ग्रामवासी चुका रहे हैं। माह सितम्बर 2014 तक नल-जल योजना से कुल 53000 रुपये की वसूली की गई है। जबकि इसके रख-रखाव पर 48000 रुपये का व्यय किया गया है। वर्तमान में कुल बचत 5000 रुपये है। मशीनरी, टोंटी आदि की देखभाल हेतु संगठन द्वारा 1200 प्रतिमाह के मानदेय पर एक प्लम्बर को रखा गया है। कुछ दिन पूर्व में मशीनों के रिपेयरिंग एवं वाल चेंज आदि में संगठन द्वारा रुपये 29000 का व्यय किया गया है। ग्राम के एक अन्य टोले, जो थोड़ी दूर पर स्थित है, जिसमें लगभग 110 परिवार निवासरत हैं, उनको इससे जोड़ने हेतु योजना के विस्तारीकरण हेतु पंचायत को प्रस्ताव भेजा गया। प्रस्ताव की कुल लागत 20 लाख रुपये के आसपास थी। इसकी जनभागीदारी की एक प्रतिशत राशि 20 हजार रुपये ग्राम संगठन द्वारा माह सितम्बर 2014 में जमा की गई है। ग्राम संगठन की अध्यक्ष श्रीमती पार्वती कुसराम का कहना है, कि नल-जल योजना के संचालन से महिलाओं में आपस में काफी जुड़ाव हुआ है, वहीं हम लोगों में अब आत्मविश्वास व स्वप्रबंधन की क्षमताओं का विकास हुआ है।

वर्तमान में इस ग्राम संगठन से 29 स्व-सहायता समूह संलग्न हो चुके हैं। ग्राम संगठन को अब तक रुपये 7 लाख का सीआईएफ प्राप्त हो चुका है। इस पूरे 7 लाख रुपये को संगठन द्वारा समूहों को ऋण के रूप में प्रदाय किया गया है, इसमें से समूहों द्वारा रुपये 3.46 लाख की ऋण वापसी ग्राम संगठन को की गई। ग्राम संगठन द्वारा पुनः समूहों की मांग अनुरूप रुपये 1 लाख का ऋण समूहों को प्रदाय किया गया है। ग्राम संगठन की सदस्य महिलाओं द्वारा बकरीपालन मुख्यतः किया जा रहा है। ग्राम संगठन को अब तक रुपये 1.70 लाख का आपदा राहत कोष प्राप्त हो चुका है। साथ ही अब तक 33 लाख रुपये की सीसीएल ग्राम संगठन से संलग्न समूहों को प्राप्त हो चुकी है।

प्रमुख उपलब्धियां (आजीविका मिशन एवं राज्य आजीविका फोरम)

- लगभग 18 लाख परिवारों को 1,57,578 स्व-सहायता समूहों से जोड़ा गया है।
- 12,397 ग्राम संगठन बनाए गए हैं जिनमें 80,591 समूहों की सदस्यता है।
- स्व-सहायता समूहों की बुक कीपिंग के लिए 56,951 बुक कीपर्स चिन्हांकित व प्रशिक्षित किए गए।
- कम्यूनिटी मोबिलाईजेशन एवं कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 20,739 समुदाय स्त्रोत व्यक्तियों का चिन्हांकन व प्रशिक्षण किया गया।
- 5.23 लाख ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण एवं रोजगार मेला तथा आरसेटी के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए।
- 1,07,523 समूहों को बैंकों से रुपये 1294 करोड़ (एक हजार दो सौ चौरानवे करोड़) का ऋण दिलाया गया।
- 12,82,921 परिवारों को आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया।
- स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सब्जियों एवं अन्य उत्पादन के विक्रय हेतु 194 आजीविका फ्रेश संचालित की जा रही हैं।
- 79,267 हितग्राहियों द्वारा एस.आर.आई. पद्धति से धान का उत्पादन खरीफ सीजन में किया गया जिससे उत्पादन में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है।
- 2,56,785 "आजीविका पोषण वाटिका" (Kitchen Garden) तैयार की गई हैं।
- जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2,37,256 हितग्राहियों द्वारा वर्मी पिट/नाडेप बनाए गए हैं।
- लगभग 1,76,800 कृषकों को व्यवसायिक सब्जी उत्पादन के साथ जोड़ा गया है।
- 83,339 परिवारों द्वारा दुग्ध उत्पादन गतिविधि आरंभ की गई।
- 72,734 परिवारों द्वारा सूक्ष्म उद्यम गतिविधियां आरंभ कर उन्हें सुदृढ़ की गई।
- स्व-सहायता समूहों की 10,000 से अधिक महिलाओं द्वारा परिसंघ अथवा स्वतंत्र रूप से परिधान तैयार किए जा रहे हैं।
- मिशन द्वारा 68 सेनेटरी नेपकिन इकाईयां स्थापित की गई हैं, जिसमें स्व-सहायता समूहों की 1,406 महिलाएं जुड़ी हैं।
- 24 उत्पादक कंपनियां (20 कृषि आधारित, 2 दुग्ध, 2 मुर्गी पालन) कार्यरत हैं।
- बाड़ी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बड़वानी में राजपुर, श्योपुर में करहाल एवं डिण्डौरी में समनापुर में 500-500 हितग्राहियों के साथ बाड़ी विकसित की जा रही है।

मध्यप्रदेश दीनदयाल अंत्योदय योजना

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण निर्धन परिवारों को स्व-सहायता समूहों के रूप में संगठित कर परिवारों को संवहनीय आजीविका के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं, साथ ही इन समूहों को विभिन्न आय मूलक गतिविधियों के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त हो सके, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में लगातार पहल की जा रही है।

ग्यारह वर्ष की उपलब्धियां

- मिशन का प्रारंभ - अप्रैल 2012।
- 17.98 लाख ग्रामीण गरीब परिवारों को 1,57,578 स्व-सहायता समूहों से जोड़ा गया है।
- 11,902 ग्रामों में सभी लक्षित परिवार समूह से जुड़ गए हैं।
- कम्यूनिटी मोबिलाईजेशन और कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 20,739 समुदाय स्रोत व्यक्तियों का चिन्हांकन व प्रशिक्षण किया गया।
- 1,07,523 समूहों को बैंकों से रुपये 1294 करोड़ (एक हजार दो सौ चौरानवे करोड़) का ऋण दिलाया जा चुका है।
- 12,82,921 परिवारों को आजीविका गतिविधि से जोड़ा गया।
- 5.23 लाख ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण एवं रोजगार मेलों के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए।
- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से 18,976 हितग्राही लाभान्वित किए जा चुके हैं।
- अब तक 1,29,540 परिवार वर्ष में एक लाख से अधिक की आय प्राप्त करने की स्थिति में पहुँच गये हैं।

मुख्य आजीविका गतिविधियां

- उन्नत कृषि अंतर्गत 4,43,663 परिवार लाभान्वित।
- 2,56,785 "आजीविका पोषण वाटिका" (Kitchen Garden) तैयार की गई हैं।
- जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2,37,256 हितग्राहियों द्वारा वर्मी

पिट तथा नाडेप बनाए गए हैं।

- 1,76,771 कृषकों को व्यवसायिक सब्जी उत्पादन के साथ जोड़ा गया है।
- 83,339 परिवारों द्वारा दुग्ध उत्पादन गतिविधि आरंभ की गई।
- 72,734 परिवारों द्वारा सूक्ष्म उद्यम गतिविधियां आरंभ कर उन्हें सुदृढ़ किया गया।
- स्व-सहायता समूहों की 10,000 से अधिक महिलाओं द्वारा परिसंघ अथवा स्वतंत्र रूप से परिधान तैयार किए जा रहे हैं।
- मिशन द्वारा 68 सेनेटरी नेपकिन इकाईयां स्थापित की गई हैं, जिसमें स्व-सहायता समूहों की 1,406 महिलाएं जुड़ी हैं।
- 24 उत्पादक कंपनियों (20 कृषि आधारित, 2 दुग्ध, 2 मुर्गी पालन) कार्यरत है।

तीन नवाचारों को भारत सरकार द्वारा सराहा गया है

बैंक सखी

बैंक सखी वह महिला होती है, जो कि स्व सहायता समूह सदस्यों को बैंक के विभिन्न कार्यों में सहयोग एवं वित्तीय समावेशन से जुड़ी अन्य सुविधाओं का लाभ उनके घर तक पहुंचाती है। 25 जिलों में 175 बैंक सखी वर्तमान में कार्यरत हैं।

समुदाय आधारित सूक्ष्म बीमा संस्थान (CBMII)

जिला शिवपुरी और जिला पन्ना में महिला समूह के सदस्यों द्वारा उनके या उनके परिवार के सदस्यों की आकस्मिक दुर्घटना और मृत्यु के कारण होने वाले नुकसान में सहायता करने के लिए (CBMII) स्थापित किया गया है जिसमें प्रति सदस्य रुपये 300/- का प्रीमियम का प्रावधान किया गया है। जिला शिवपुरी में 4.50 लाख तक का बीमा किया जाता है।

समुदाय प्रशिक्षण केन्द्र

स्व-सहायता समूहों में शामिल महिलाओं, उनके संगठनों, संगठनों के लिये कार्य में सहयोग करने वाले ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं को दक्ष बनाया जाए। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 8 जिलों में समुदाय संगठनों के माध्यम से समुदाय प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन का प्रयोग शुरू किया गया है।

विभाग के बजट में इस दौरान हुई वृद्धि

- मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)- वित्त वर्ष 2012-13 से वित्त वर्ष 2016-17 में अब तक कुल बजट आवंटन रुपये 759.99 करोड़ है।
- मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना (एमपीआरएलपी)- जुलाई 2004 से जून 2012 तक कुल बजट आवंटन रुपये 447.81 करोड़ था।
- एमपीडीपीआईपी - एमपीडीपीआईपी के द्वितीय चरण जून 2009 से जून 2015 तक का कुल बजट आवंटन रुपये 556.83 करोड़ था।

लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या (अजा, अजजा, अपिव सहित)

- स्व-सहायता समूहों में 11,17,944 अ.ज.जा., अ.जा. परिवारों को जोड़ा गया।
- 65,859 अ.ज.जा., अ.जा. स्व-सहायता समूहों को बैंक से ऋण दिलाया गया।
- 2,48,969 अ.ज.जा., अ.जा. ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये।

म.प्र. दीनदयाल अंत्योदय योजना-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

क्र.	कार्य	पूर्व स्थिति	वर्तमान स्थिति
1.	महिला स्व-सहायता समूहों से निर्धन ग्रामीण परिवारों को जोड़ना।	पंच सूत्र आधारित महिला सदस्यों की समूह अवधारणा वर्ष 2009 से डीपीआईपी योजना तथा ग्रामीण आजीविका मिशन में वर्ष 2012 में प्रारंभ।	17,70,710 परिवार
2.	महिला स्व-सहायता समूहों को बैंक लिंकेज के माध्यम से ऋण प्रदाय करना।	पंच सूत्र आधारित महिला सदस्यों की समूह अवधारणा वर्ष 2009 से डीपीआईपी योजना तथा ग्रामीण आजीविका मिशन में वर्ष 2012 में प्रारंभ।	1,02,900 स्व-सहायता समूह
3.	ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।	मध्यप्रदेश शासन द्वारा रोजगार संबंधित नीति 2007 से लागू।	5,18,168 युवा
4.	ग्राम स्तर पर सामुदायिक स्रोत व्यक्ति एवं बुक कीपर का चिन्हांकन एवं प्रशिक्षण	सामुदायिक स्रोत व्यक्तियों एवं बुक कीपर का चिन्हांकन एवं प्रशिक्षण वर्ष 2009 से डीपीआईपी योजना तथा ग्रामीण आजीविका मिशन में वर्ष 2012 में प्रारंभ।	73,451

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–वाटरशेड विकास

भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश के एक बड़े भूभाग पर खेती-किसानी होती है। आज के दौर में सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है ऐसे में कृषि इससे कैसे अछूती रह सकती है। देश के ऐसे सुदूर अंचल जहाँ अब तक खेती मानसूनी बारिश पर निर्भर है, वहाँ बारह महीने सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम केन्द्र और राज्य शासन द्वारा संयुक्त रूप से पोषित योजना है। मध्यप्रदेश में इस योजना की शुरुआत वर्ष 2009 में हुई थी। जुलाई 2015 में एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री कृषि योजना में समाहित कर इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास का नाम दिया गया। इस योजना के तहत प्रदेश में अब तक 3395.34 करोड़ रुपये की लागत से 28.29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 498 परियोजनाएँ चलायी जा रही हैं।

18527 जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण कर वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र में 95844 हेक्टेयर में सिंचाई सामर्थ्य का विकास। 17188 हेक्टेयर पड़त भूमि का कृषि/उद्यानिकी भूमि के रूप में विकास। परियोजना क्षेत्रों में कृषि कार्यमाला अपनाकर फसल उत्पादन में 25% से 30% की वृद्धि हुई। वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों हेतु राशि रुपये 3363.68 करोड़ की लागत से 28.03 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की 494 परियोजनायें स्वीकृत की गईं। 149549 गरीब परिवारों की आजीविका उन्नयन हेतु 44.96 करोड़ की वित्तीय सहायता से आय अर्जन गतिविधियां कार्यान्वित की जा रही हैं।

खेत-तालाब से क्षेत्र में जल संग्रहण का बढ़ा कदम

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आई.डब्ल्यू.एम.पी. के तहत सीहोर विकासखण्ड के परियोजना क्षेत्र के 06 ग्रामों में किसानों की निजी भूमि पर 30 खेत-तालाब का निर्माण करवाया गया। अलग-अलग आकार के इन खेत-तालाब के बन जाने से लोगों को सिंचाई सुविधा और आसपास का जल स्तर बढ़ाने में कामयाबी मिली है।

परियोजना क्षेत्र मे खेत-तालाब निर्माण किये जाने हेतु आई.टी.सी. एवं सीपा जो कि पी.आई.ए. के रूप में कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा क्षेत्र के ग्रामीणों एवं जलग्रहण समिति सदस्यों को एक दिवसीय एक्सपोजर भ्रमण देवास जिले में करवाया गया। देवास जिले में पूर्व में जो खेत-तालाब निर्मित कराये गये उनसे प्रेरित होकर हमारे क्षेत्र के किसानों द्वारा अपने निजी खेतों पर स्वेच्छा से खेत-तालाब की मांग हुई पश्चात जलग्रहण समिति की बैठकों का आयोजन कर खेत-तालाब निर्माण हेतु प्रस्ताव पारित किये गये एवं जिन किसानों के द्वारा आवेदन प्राप्त हुये उन्हें तत्काल कार्यवाही करते हुये उनके यहां खेत-तालाब निर्माण कार्य पूर्ण कराये गये।

विभिन्न आकारों के बनाये गये खेत-तालाबों में औसतन 2200 से लेकर 3600 घन मीटर पानी भर रहा है जिससे कि लगभग 1.5 से 2.5 हेक्टेयर के एक तालाब से रबी की फसल में सिंचाई होने लगी है। तालाब का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि उसकी पाल (बंड) पर अच्छी किस्म का घास एवं वृक्षारोपण का कार्य किया जाए जिससे कि मिट्टी का कटाव नहीं हो एवं बंड मजबूत रहे। इस प्रकार परियोजना क्षेत्र के 6 ग्रामों में कुल 30 खेत-तालाब का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है इस कार्य के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप खेत-तालाब की मांग बढ़ी है। इसके फायदे को देखते हुए किसानों की मांग पर अन्य जगहों हितग्राहियों की जमीन पर खेत-तालाब बनाने की कार्यवाही की जा रही है।

● **प्रस्तुति : प्रियंका पाठक**

स्वस्थ जीवन के लिए पौष्टिक आहार के साथ-साथ स्वच्छ वातावरण भी जरूरी है। स्वच्छता से स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन से समृद्धि आती है। ग्रामीण भारत में अभी भी खुले में शौच, अशुद्ध पेयजल का उपयोग, मानव मल का सही ढंग से निपटान नहीं होने से लोग अक्सर बीमारियों का शिकार होते हैं। पूरे देश में स्वच्छता के प्रति लोगों को सचेत करने के लिये भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। इस मिशन का उद्देश्य ग्रामीण लोगों में स्वच्छता, साफ-सफाई और खुले में शौच का समाप्त करने को बढ़ावा देना है।

स्वच्छ भारत मिशन

स्वच्छता है तो स्वास्थ्य है – मुस्कराहट है...

मध्यप्रदेश को स्वर्णिम बनाने की परिकल्पना में स्वच्छता का महत्वपूर्ण स्थान है। अस्वच्छता से सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं पोषण के स्तर पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। समुदाय के जीवन स्तर में सुधार तथा स्वस्थ जीवन की सुनिश्चितता एवं मध्यप्रदेश में स्वच्छता कवरेज को तेजी से बढ़ाने के लिये प्रदेश में विभिन्न स्तरों पर कार्य किया जा रहा है, जिससे समुदाय में स्वच्छता व्यवहारों में बदलाव आए और जीवन स्तर उच्च हो सके। मध्यप्रदेश में स्वच्छ भारत अभियान को चरण बद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है जिसमें मुख्य जोर ग्रामों को पूर्ण रूप से खुले में शौच की प्रथा से मुक्त एवं स्वच्छ ग्राम के रूप में विकसित किया जाना है। यह अभियान न केवल स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण का है अपितु समुदाय में स्वच्छता संस्कारों के विकास का अभियान है। इस अभियान को जन-आंदोलन के रूप में क्रियान्वित करने के लिये समाज के हर वर्ग को जोड़ने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस अभियान में समस्त जनप्रतिनिधि, ग्रामवासियों, पंचायत पदाधिकारियों, हर स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा मैदानी अमले की भागीदारी के अंतर्गत यह महत्वपूर्ण है कि समुदाय स्वच्छता को अपनाने तथा खुले में शौच की प्रथा को बंद करने के लिये एकमत हो तथा स्वच्छता के नियमों का निर्धारण कर पालन सुनिश्चित करे।

मध्यप्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगभग 59 लाख परिवारों को शौचालय

लेपटॉप से पहले शौचालय

ग्राम पंचायत बोरया जनपद पंचायत देपालपुर के युवा अरुण मकवाना ने अनूठा उदाहरण पेश किया है। हर घर में शौचालय के नारे को चरितार्थ करने के लिए अपनी मिली छात्रवृत्ति के रुपयों से लेपटॉप ना खरीदते हुए गांव की एक गरीब महिला मांगूबाई के घर शौचालय बनवाया। अरुण का कहना है कि अपने गाँव के एक परिवार का खुले में शौच के लिए जाना मुझे मंजूर नहीं था इसलिये यह कदम उठाया।

दोस्तों को साथ मिलकर बनाया शौचालय

देपालपुर के कलासुरा पंचायत के गांव मोहना में रहने वाले 11 साल के अल्फाज की भी जिद की ऐसी ही कहानी है। पिता मामूली किसान हैं, घर चलाना भी मुश्किल है। जब अल्फाज ने गांव में शौचालय बनते देखे तो पिता से भी इसे बनवाने की जिद की। पिता ने आर्थिक हालत का हवाला दिया तो अल्फाज ने खुद ही तय कर लिया उसने पास के दो दोस्तों के साथ स्कूल से आने के बाद रोज एक घंटे दोस्तों के साथ गड्ढा खोदने में लग गया। पिता ने शौचालय बनाने में मदद की और उनके घर शौचालय बन गया है।

बहू की जिद, पहले शौचालय

श्रीमती सुनीता पति रामचन्द्र निवासी ग्राम लसुड़िया परमार एवं जनपद पंचायत सांवेर द्वारा अपनी सास और पति से जिद की कि घर पर शौचालय का निर्माण कराओ उसकी बात न सुनने पर सुनीता ने पिता व सास से बातचीत बंद कर दी और अपनी जिद को प्रबल किया। बहू की इस घटना को देखकर सास ने बेटे रामचन्द्र को समझाया और बेटे को मनाया इस प्रकार सुनीता की जिद पूरी हुई और आज सुनीता के घर शौचालय है।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण

- 58.94 लाख परिवारों को शौचालय सुविधा का प्रदाय।
- 3040 ग्राम पंचायत तथा 6550 ग्राम खुले में शौच मुक्त हुये।
- इंदौर एवं हरदा जिला ग्रामीण सहित प्रदेश के 14 विकासखण्ड खुले में शौच मुक्त हुए।

सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। वहीं वर्ष 2016 तक 3040 ग्राम पंचायतें और 6550 गांव खुले में शौच से मुक्त हुये मध्यप्रदेश को खुले में शौच से मुक्त कराने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल हुई जब प्रदेश की 14 जनपद सहित इंदौर और हरदा जिले भी खुले में शौच से मुक्त हुये।

व्यवहार परिवर्तन संचार गतिविधियों के ग्राम स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्राम स्तर पर स्वच्छता दूतों का चयन कर प्रशिक्षण किया जा रहा है। जिससे परिवार स्तर पर स्वच्छता के लिए गृहभेंट सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही विकासखण्ड स्तर पर प्रेरकों का दल तैयार किया जा रहा है जिनके द्वारा समुदाय में स्वच्छता के लिये प्रेरित किया जाएगा तथा खुले में शौच की प्रथा प्रतिबंधित करने के लिए समुदाय को तैयार किया जाएगा।

प्रदेश के शालाओं में स्वच्छता सुविधाओं की रखरखाव एवं नियमित स्वच्छता के लिए कार्पोरेट जगत को भी कार्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। स्वच्छता सुविधाओं के आंकड़ों के संधारण तथा अनुश्रवण को पुख्ता बनाने के लिए भी समग्र आंकड़ों का सत्यापन कराया जाकर संधारित किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण है हम सब में स्वच्छता के प्रति मानसिक बदलाव हो जिससे सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने तथा स्वयं को स्वच्छ रखने के संस्कार विकसित हो सके।

● **प्रस्तुति : अर्चना शर्मा**

स्वच्छता दूत से बन गए सरपंच

मध्यप्रदेश में पिछले दिनों हुए पंचायत चुनावों में सीहोर के थूना कलां ग्राम पंचायत में 28 वर्षीय अखिलेश मेवाड़ा सरपंच निर्वाचित हुए। अखिलेश मेवाड़ा का सरपंच निर्वाचित होना पूरे इलाके के लिए आश्चर्य बन गया। उनका पहले से न तो कोई राजनीतिक अनुभव था और न ही उनके परिवार से कोई व्यक्ति पहले से राजनीतिक रूप से अनुभवी लोग थे, इसके बावजूद उन्हें जीत हासिल हुई। सरपंच बनने से पहले श्री मेवाड़ा पंचायत में दो सालों से स्वच्छता दूत के रूप में कार्य कर रहे थे। स्वच्छता दूत के रूप में कार्य करते हुए ग्रामीणों के बीच उनकी गहरी पैठ बन गई और यही उनकी जीत का प्रमुख कारण बन गया। श्री मेवाड़ा कहते हैं, "मैं चुनाव की घोषणा से पहले तक चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं था पर जब कुछ लोगों ने मुझे लगातार प्रेरित किया, तो मैंने उम्मीदवारी के लिए नामांकन भर दिया। चुनाव प्रचार एवं चुनाव प्रबंधन का मुझे अनुभव नहीं था, पर ग्रामीणों पर मुझे भरोसा था कि वे मुझे वोट देंगे, क्योंकि उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया था।' थूना कलां पंचायत राजधानी भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। यहां 566 परिवारों में अधिकांश पिछड़े एवं अनुसूचित समुदाय के हैं। पानी की समस्या और आबादी के लिहाज से बड़ा गांव होने के कारण थूना कलां को खुले में शौच से मुक्त कराना एक चुनौती थी। यहां के पूर्व सरपंच एवं सचिव गांव को खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए प्रयासरत थे। इस बीच उन्हें अखिलेश मेवाड़ा का स्वच्छता दूत के रूप में साथ मिल गया और फिर सामूहिक प्रयासों की बदौलत 2013 के बाद 265 परिवारों ने शौचालय बनाकर गांव को खुले में शौच से मुक्त करा दिया। यद्यपि गांव में जल संकट बहुत ज्यादा है इसलिए सरपंच के रूप में श्री मेवाड़ा गांव में सबसे पहले पानी की व्यवस्था करना चाहते हैं, जिससे कि जल संकट दूर हो और शौचालय का उपयोग भी बेहतर तरीके से हो।

श्री मेवाड़ा 12वीं के बाद पढ़ाई के साथ-साथ गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करने लगे थे। उन्होंने लगभग 8 साल तक ट्यूशन पढ़ाई। इसकी वजह से वे बच्चों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गए। श्री मेवाड़ा याद करते हैं, 'मैं पंचायत के लिए कुछ बेहतर करना चाहता था। सचिव के उस आग्रह ने मेरी राह आसान कर दी। मैं शहर में रहने के बजाय गांव चला गया। और सबसे पहले ट्यूशन वाले बच्चों से बात की। उनकी टोलियां बनाईं और स्वच्छता पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ जागरूकता रैली, शर्मिंदगी रैली और पालकों से बातचीत की। लोग तरह-तरह के बहाने बनाते थे, जिसमें पैसे नहीं हैं, घर में जगह नहीं है, पानी कहां से लाएंगे जैसी बातें लोग करते थे। पर महिलाओं और किशोरियों की इज्जत की बात करने पर महिलाओं ने साथ देना शुरू किया। बच्चे भी लगातार दबाव बना रहे थे। आंगनवाड़ी एवं स्कूल में भी शौचालय की स्थिति में सुधार और उसके उपयोग पर जोर दिया।' श्री मेवाड़ा के साथ काम कर चुके 7वीं के छात्र धीरज, 8वीं के छात्र विष्णु प्रजापति और 9वीं के छात्र शुभम बताते हैं कि वे सुबह और शाम शौच वाली जगहों पर बच्चों की टोलियां बनाकर निगरानी करते थे। इसका सकारात्मक असर हुआ और फिर लोगों ने शौचालय बनाना शुरू कर दिया। कुछ लोग फिर भी आनाकानी कर रहे थे, पर गांव को खुले में शौच से मुक्ति के लिये आखिरकार उन्होंने भी शौचालय बनवा लिया। श्री मेवाड़ा कहते हैं, 'सरपंच बनने के बाद लग रहा है कि गांव के लोगों ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है और पहले से ज्यादा काम मुझे करना पड़ेगा। मैं सबसे पहले गांव में रुकी हुई नल-जल योजना को शुरू करवाऊंगा। पानी का प्रबंध हो जाने के बाद गांव में सूखे और गीले कचरे का प्रबंधन करने पर ध्यान देना है, जिससे कि गांव में कहीं भी गंदगी दिखाई नहीं दे। मैं गांव की शालाओं और आंगनवाड़ी पर भी ज्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि मैं अपने को बच्चों से जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ।' स्वच्छता दूत से सरपंच बने श्री मेवाड़ा थूना कलां के सबसे युवा सरपंच हैं और ग्रामीणों को उम्मीद है कि अगले 5 सालों में थूना कलां एक आदर्श पंचायत बन जाएगी।

स्कूल में कोई बच्चा भूखा न रहे

मध्यप्रदेश में लोगों के स्वस्थ जीवन और शिक्षा से समृद्ध करने की जिम्मेदारी का निर्वहन शासकीय स्तर पर किया जा रहा है। सम्पूर्ण शिक्षाकरण और हर बच्चे को स्कूल भेजने के लिए तथा उन्हें कुपोषण से बचाने के लिए मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय और स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, नई दिल्ली द्वारा संचालित योजना है। इस योजना का उद्देश्य शिक्षा का लोकव्यापीकरण, स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि और उपस्थिति में निरंतरता बढ़ाना है। साथ ही प्राथमिक तथा माध्यमिक शालाओं, शासन से अनुदान प्राप्त बालश्रम परियोजना की शालाओं तथा राज्य शिक्षा केन्द्र से सहायता प्राप्त मदरसों में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। मध्यान्ह भोजन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में हुई थी जिसमें पोषण आहार के रूप में दलिया दिया जाता था। लेकिन जनवरी 2004 से प्रदेश में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के तहत दलिया के स्थान पर पौष्टिक भोजन देना प्रारंभ किया गया।

दूध प्रदाय योजना

दूध प्रदाय योजना जुलाई 2015 से प्रदेश की प्राथमिक शालाओं व आंगनवाड़ियों के बच्चों को सप्ताह में तीन दिवस (सोमवार, बुधवार, शुक्रवार) दूध पावडर 5 फ्लेवर में (रोज, इलाइची, स्ट्रॉबैरी, पाइनएप्पल एवं चॉकलेट) से तैयार कर तरल दूध का प्रदाय।

गैस कनेक्शन

प्रदेश के लगभग 1.15 लाख स्कूलों में अब 32850 स्कूलों को गैस कनेक्शन हेतु राशि जारी की जा चुकी है। शेष स्कूलों में चरणबद्ध रूप से विस्तारित किया जा रहा है। गैस कनेक्शन शाला प्रबंधन समिति के नाम से लिया जाकर स्व-सहायता समूह को मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अन्तर्गत खाना पकाने हेतु उपलब्ध कराया जाता है। नीमच प्रदेश का पहला जिला है जहां शत-प्रतिशत लक्षित स्कूलों में रसोई गैस कनेक्शन प्रदाय किये जा चुके हैं। सी.एस.आर. और जन-सहयोग से भी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश जिलों को दिये गए थे।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम प्रगति

क्र.	कार्य	पूर्वस्थिति वर्ष 2004	वर्तमान स्थिति वर्ष 2016
1	दूध प्रदाय योजना	निल	कुल 264 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
2	गैस कनेक्शन	निल	32500 स्कूलों में गैस कनेक्शन का उपयोग हो रहा है आगामी 03 वर्षों में गैस कनेक्शन की उपलब्धता को शत-प्रतिशत किया जावेगा।
3	भोजन व दूध का सेम्पल	निल	सभी स्कूलों में रखा जा रहा है।
4	स्वच्छ किचनशेड प्रतियोगिता	निल	प्रदेश के सभी जिलों में प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है एवं पुरस्कार राशि व प्रतिस्पर्धा होने के कारण उत्साहजनक परिणाम प्राप्त होंगे।
5	अभिलेख संधारण माह	निल	प्रदेश के समस्त जिलों में माह सितम्बर को अभिलेख संधारण माह के रूप में मनाया जाता है। जिसमें कार्यरत स्व-सहायता समूहों का सत्यापन भी किया जाता है।

भोजन व दूध का सेम्पल

तैयार भोजन का नमूना हर स्कूल में एक सीलबंद टिफिन में 24 घंटे के लिए रखा जाता है।

तिथि भोज

प्रदेश के कई जिलों में समाज के गणमान्य एवं संपन्न लोगों के माध्यम से मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में विशेष अवसरों पर जैसे जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ, पुण्यतिथि आदि अवसरों पर शाला के विद्यार्थियों के लिए तिथि भोज का आयोजन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

स्वच्छ किचनशेड प्रतियोगिता

स्वच्छ किचनशेड प्रतियोगिता आयोजन के निर्देश जारी किये गये हैं। प्रत्येक जिले में तीन पुरस्कार 50000/- प्रथम, 30000/- द्वितीय व 20000/- तृतीय पुरस्कार का प्रावधान है।